

Government Pataleshwar College Masturi District- Bilaspur (C.G) -495501

सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं नियक

498] प्राचार्य मार्गदर्शिका

जहां अंशदाता के परिवार में कोई सदस्य नहीं है और यदि उसके द्वारा पूर्व प्रभावशील नियम 8 की (II) अल अरापाण अजारवार के की किया गया मनोनयन वैध है तो, निधि में उसकी जमा ग्रिश शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया गया मनोनयन वैध है तो, निधि में उसकी जमा ग्रिश राण क अनुसार किसा व्यक्ति अववा प्राचना है, उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्दिष्ट अथवा उसका वह अंश जो कि मनोनयन से सम्बन्धित है, उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्दिष्ट अनुपात में भुगतान किया जायेगा।

कुछ विशेष प्रकरणों में भविष्य निधि के भुगतान के सम्बन्ध में -विषय.—नामांकन के अभाव में लम्बित सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों के निराकरण बा**व**त। संदर्भ.—वित्त विभाग (मंत्रालय) ज्ञाप क्र. 1252/182/2000/सी/चार, दिनांक 16-6-2000।

अतः मृत अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान के प्रकरणों के संबंध में निर्देशित निम्न जानकारी अंतिम भुगतान के प्रकरण के साथ महालेखाकार कार्यालय को भेजी जावे:—

, मृत अभिदाताओं के अंतिम भुगतान आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय मूल नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे अथवा यह प्रमाणित किया जावे कि नामांकन उपलब्ध नहीं है।

नामांकन न होने की दशा में अभिदाता के परिवार का स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा परिवार न होने की दशा में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दावेदार से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न

महालेखाकार कार्यालय में लंबित प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार जानकारी भेजी जावे।

विषय.—नामांकन के अभाव में शासकीय सेवक के परिवार को सामान्य भविष्य निधि स्वत्वों का

संदर्भ.—वित्त विभाग (मंत्रालय) ज्ञाप क्र. 1120/1051/2001/सी/चार, दिनांक 12 जून 2001। मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 8(1) में यह प्रावधान किया गया है कि समस्त कार्यालय प्रमुखों द्वारा समस्त शासकीय सेवकों से उनकी मृत्यु पर देय सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान के संबंध में नामांकन पत्र लिया जाना आवश्यक है। शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर इस नामांकन में उल्लेखित नामांकितों को सामान्य भविष्य निधि के देय स्वत्वों का भुगतान किया जाता है।

- शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि वित्त विभाग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी बहुत से कार्यालय प्रमुखों द्वारा शासकीय सेवकों से नामांकन प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इन नामांकन के अभाव में कार्यालय प्रमुखों एवं महालेखाकार कार्यालय को सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान मृत शासकीय सेवक के परिवार को करने में वैधानिक कठिनाइयां आती हैं। अतः भुगतान के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की मांग करनी पड़ती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने में अनेक कठिनाइयों का सामना परिवार को करना पड़ता है।
- पूर्ण विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया कि नामांकन के अभाव में कार्यालय प्रमुख द्वारा अंतिम आहरण आवेदन भेजते समय महालेखाकार को यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित शासकीय सेवक से नामांकन पत्र प्राप्त नहीं किया गया था तथा नामांकन पत्र प्राप्त न होने के कारण महालेखाकर, म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 31(1) (बी) के अनुसार कार्यवाही करें। नियम 31(1) (बी) अनुसार जिन उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाना है उससे संबंधित सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार महालेखाकर कार्यालय को अंतिम आहरण आवेदन के साथ भेजी जाए।
- नामांकन के अभाव में इस तरह भुगतान की जा रही व्यवस्था संबंधित मृत शासकीय कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत दिलाए जाने के उद्देश्य से हैं। प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अधिकारी का यह दायित्व है कि वह नामांकन पत्र सभी शासकीय सेवकों से प्राप्त कर प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अवश्य करें। अतः नामांकन के अभाव में उक्त नियमों के अंतर्गत भुगतान की जा रही व्यवस्था के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख पूर्ण उत्तरदायी होंगे। यदि किसी प्रकरण में कोई विवाद उत्पन्न होता है तथा यह पाया जाता है कि कार्यालय प्रमुख द्वारा नामांकन प्राप्त न करने के कारण गलत जानकारी देकर गलत नामांकित व्यक्ति को भुगतान कराया है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख इस त्रुटि के लिए व्यक्ति^{गत} रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

संलग्न प्रपत्र

(5) सेवानिवृत्ति की तारीख से 12 मास के भीतर निधि से प्रत्याहरण— शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने की तारीख से 12 मास के भीतर बिना किसी कारण के निधि से अंतिम रूप से प्रत्याहरण कर सकता है।

यह सुविधा केवल एक बार प्राप्ता होगी। के नारण एक हो सकती है। पर

्यतः प्रावधानः अधिसूर्चनाः क्रमांक एफल्/ ५-५/2002/नियम/चारः, दिनांकः २५० जनवरीः, 2003 द्वारा स्थापित किया गया है।] ११९८- २-२१ क्यारण क्यारण क्यारण क्यारण

स्वीकृति हेतु सक्षमं प्राधिकारी— नियम 15 (9) के अन्तर्गत विशेष कारणों के आधार पर जो प्राधिकारी अग्रिम स्वीकृति हेतु सक्षम होंगे।

15. विधि से अन्तिम प्रत्याहरण (Final Payment)

निम्न परिस्थितियों में निधि में जमा राशि की वापसी या प्रत्याहरण देय हो जाता है :-

- (1) सेवा से त्यागपत्र दैने के कारण। परन्तु अंशदाता जिसे पदच्युत या सेवामुक्त कर दिया गया है एवं बाद में सेवा में बहाल कर दिया जाये तो वह शासन द्वारा अपेक्षित होने पर प्राप्त राशि ब्याज सहित वापस करेगा।
- दोप.— जब कोई अंशदाता एक शासन की सेवाओं से त्यागपत्र देंकर दूसरे शासन की सेवा में जाता है, अथवा कि किसी एक शाखा से दूसरी शाखा को स्थानान्तरित कराता है तो यह नहीं माना जावेगा कि उसने अन्तिम रूप से शासकीय सेवा छोड़ दी है।

1005 हम् ६६ क्लेक्से , पहलीम 1005 स्थाप १८०० व्याप स्केल्स **समान्य भविष्य निर्धि नियम 29**]

- प्रकाशिक (2) के (अ) कि सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर चला गया है अथवा वह विश्रामावकाश वाले किसी विभाग में एक कि किसी विभाग में एक कि किसी विभाग में एक कि किसी विभाग में
- (ब) जब अवकाश पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने की अनुमति मिल गई हो अथवा किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा भविष्य की सेवा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,
- स्ति अधिवार्षिकी आयु को प्राप्त हो गया हो :

परन्तु अशदाता यदि कर्तव्य पर वापस लौटता है, तो शासन द्वारा अन्यथा निर्णय लेने की स्थिति को छोड़कर, वह इस नियम के अनुसरण में उसे भुगतान की गई किसी भी राशि के पूर्ण अथवा अंश को मासिक किस्तों में नगद अथवा प्रतिभूतियों में अथवा आशिक रूप से नगद या आंशिक रूप से प्रतिभूतियों में लौटायेगा।

टीप.— सेवानिवृत्ति के पश्चात् शासकीय सेवा में पुन:नियुक्त अंशदाता के मामले में यह माना जायेगा कि उसने सेवानिवृत्ति के दिनांक से सेवा छोड़ दी है, भले ही उसका पुनर्नियोजन उसकी निरन्तर सेवा के तारतम्य में बिना खण्डन हुआ हो।

वैद्य नामांकन के अभाव में भुगतान- यदि अशदाता द्वारा परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में प्रेसा कोई मनोन्यन नहीं किया गया है अथवा यदि ऐसा मनोन्यन निधि में उसके शेष जमा राशि के किसी अशमात्र से सम्बन्धित है, तो सम्पूर्ण राशि अथवा उसका वह भाग जिससे मनोन्यन सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, उसके परिवार के किसी सदस्यों के पक्ष में अभिप्रेत किसी भी मनोन्यन के बावजूद उसके परिवार के सदस्यों को समान भाग में भुगतान हेतु देय हो जाता है:

एरन्तु निधि का कोई भी भाग निम्नलिखित व्यक्तियों को भुगतान योग्य नहीं होगा :-

च्या (क) व वे पुत्र जो वयस्कता प्राप्त कर पुके हैं;

6 का अधिम क्रिय किए गए भूखण्ड पर मकान बनाने हेतु। का विकास कार्य कि विकास कि

टिप्पणी 1.— यदि अभिदाता के पास कर्तव्य स्थल के अलावा अन्य कहीं पैतृक सम्पत्ति है या उसने शासन ्रिका की सहायता से मकान बनाया है, तो भी कर्तव्य स्थल पर उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत मकान बनाने

प्य भूखण्ड खरीदने या बना बनाया मकान खरीदने के लिए पार्ट फायनल मिल सकता है।

टिप्पणी 2.— जिस शासकीय सेवक ने गृह निर्माण हेतु शासन से अग्रिम प्राप्त किया है, वह भी इन नियमों हिलाह प्रयुक्त के अधीन पार्ट फायुनल प्राप्त कर सकते हैं।

टिप्पणी 3.- ितवास हेतु पार्ट फायनल लेने हेतु मकान का नक्शा/एस्टीमेट, मंजूरी आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

दिप्पणी 4.— भूखण्ड अथवा मकान पति या पत्नी के नाम से हो तो भी इन नियमों के अधीन पार्ट फायनल पुरस्ताना प्रभावशंच क्या जाते। समुचा प्राचि के तो से 15 कि के ब्रि**म्किम् लिम्** को स्वर्थकरण

टिप्पणी 5.— इन नियमों के अधीन केवल एक ही बार पार्ट फायनल दिया जायेगा, किन्तु विवाह, बीमारी हार है हो हो हो न बच्चों की शिक्षा अथवा मकात का पुनः जीर्णीद्वार हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर पार्ट फायनल मिल हमधीकण प्रस्तृत नहीं विक्या जाता है तो इस नियम र स्वीरत विषि से अग्रिम **र्काणकम्यु**गतान प्रभावकील

प्रत्याहरण की सीमा : (1) शिक्षा हेतु- तीन माह के वेतन के बराबर अथवा निधि में संचित धनराशि का आधा, इनमें से जो भी कम हो। वर्ष में एक बार प्रत्याहरण स्वीकार किया जायेगा। इसके अलावा नियम 15 (1) (ए) (iii) के अन्तर्गत कोई अस्थाई अग्रिम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

परन्तु चिकित्सा तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश जैसे मामले में, मंजूरी प्राधिकारी, अभिदाता के खाते में जमा अतिशेष का 75% या प्रवेश फीस तथा अन्य फीस के बराबर की रकम, इनमें से जो भी क्रम हो, मंजूर कर सकेगा।

्रियम 16 बी (1)]
विवाह हेतु- सामान्यतः 10 माह के वेतन के बराबर अथवा जमा का आधा, इन दोनों में से जो भी कम हो। यदि दो या अधिक विवाह एक साथ हों तो प्रत्येक विवाह के मामले में राशि का निर्धारण उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि वह एक के बाद एक हो रही हों।

से अधिक नहीं। यह सीमा प्रथम पुत्री के लिए होगी। अन्य पुत्र/पुत्रियों के विवाह के मामले में भी स्वीकृतकर्ती प्राधिकारी इस सीमा की शिथिल कर सकते हैं, किन्तु 15 माह का वेतन या जमा अंतिशेष का 75% जी भी कम हो। ि विभाग विनयम 16-बी (2) (ііі)]

बीमारी हेतु- छः माह के वेतन के बराबर अथवा संचित निधि के आधे के बराबर, इनमें से जो भी 10 वर्ष का संवातान पुरा वर लेने पर अस्ता अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिय । होने के देनकां हिमक

परन्तु गंभीर बीमारी के मामले, जैसे हृदय शल्य क्रिया, कैसर का उपचार, किडनी प्रत्यारोपण आदि में मंजूरी प्राधिकारी, अभिवाता के खाते में जमा पर्याप्त अतिशेष रकम के अध्याधीन रहते हुए 10 मास के बेतन के बराबर की रकम मंजूर कर सकेगा। क्ष विवाद कि हम्मियम 16 (ख) (3) (एक)]

हज यात्रा/तीर्थ यात्रा हेतुन दस मास के बेतन के बराबर की राशि या निधि में अभिदाता के खाते स्वर्ध के निवास हो महात कार्त के लग नवण्ड क्रम के **कि एक मिल्रा के कि महात के मिल्रा के महात हैं**

प्रत्याहरण की मंजूरी यात्रा प्रारंभ किए जाने के मास से पूर्ववर्ती तीन मास से पूर्व नहीं दी जा सकेगी। महाने कर प्रत्याहरण संपूर्ण सेवा में केवल एक बार अनुजेय होगा। विवेश कि नावम छाइ । हार स्वीत

पूर्ण रुपयों की मासिक किस्तों में अभिदाता द्वारा निर्धारित किए अनुसार वसूल किया जाएगा, अन्तिम किस्त यदि आवश्यक हो, अन्य किस्तों की अपेक्षा कम हो सकती है।

- (5) किसी एक माह में अभिदाता एक से अधिक किस्त चुकता करने का चयन कर सकता है।
- (6) यदि कोई अग्रिम अभिदाता द्वारा आहरित किया जा चुका है तथा स्वीकृत अग्रिम बाद में पूर्ण चुकता होने के पहले ही अमान्य कर दिया जाता है, तो सम्पूर्ण अथवा निकाली गयी राशि का शेष, अभिदाता द्वारा निधि को तत्काल लौटाया जायेगा अथवा चूक की दशा में अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त अथवा 12 मासिक किस्तों से अनिधक, जैसा नियम 15 के उपनियम (9) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, वसूली आदेशित की जावेगी :

परन्तु ऐसा अग्रिम अमान्य किए जाने के पहले स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी लिखित सूचना देगा कि क्यों न पुनर्भुगतान प्रभावशील किया जावे। संसूचना प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर अभिदाता को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा तथा यदि उल्लेखित अविध में अभिदाता द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो निर्णय हेतु वह प्रशासकीय विभाग को संदर्भित किया जायेगा तथा यदि उसके द्वारा उल्लेखित अविध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इस नियम में निर्धारित विधि से अग्रिम का पुनर्भुगतान प्रभावशील होगा।

14. आंशिक अंतिम विकर्षण (पार्ट फायनल)

- (अ) 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होने के पहले 10 वर्ष के अन्दर, इनमें से जो भी पहले हो—
- जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सिंहत अभिदाता अथवा अभिदाता के किसी बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु—
 - (1) हाई स्कूल स्तर के ऊपर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यवसाय सम्बन्धी कोर्स हेतु भारत के बाहर,
 - (2) भारत में मेडिकल, इंजीनियरिंग अथबा अन्य तकनीकी या विशेषीकृत कोर्स हेतु।
- अभिदाता अथवा उसका पुत्र या पुत्री और उस पर वास्तिविक रूप से आश्रित मिहला सम्बन्धी की सगाई/विवाह के सिलिसिले में।
- जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सिहत अभिदाता और उसके पिरवार के किसी भी सदस्य अथवा उस पर वास्तविक रूप से आश्रित की बीमारी हेतु।
- अभिदाता की हज यात्रा या तीर्थ यात्रा हेतु।
- (ब) 10 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लेने पर अथवा अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के दिनांक से 10 वर्ष के अन्दर, इनमें से जो भी पहले हो—
 - भूखण्ड के मूल्य सिंहत स्वयं के निवास हेतु मकान बनाने अथवा उपयुक्त मकान का अर्जन करने या तैयार मकान क्रय करने हेतु।
 - उपरोक्त प्रयोजन हेतु लिए गए कर्ज की बकाया रकम को लौटाने हेतु।
 - स्वयं के निवास हेतु मकान बनाने के लिए भूखण्ड क्रय करने अथवा इस प्रयोजनार्थ लिए गए कर्ज की बकाया ग्रांश का चुकाग करने हेतु।
 - अभिदाता द्वारा मकान या पूर्व में क्रय या अर्जन किए गए फ्लेट को पुनःनिर्माण करने या परिवर्धन या परिवर्तन करने हेतु।
- कर्तव्य स्थल से भिन्न स्थान पर पैतृक सम्पत्ति का अथवा शासन की सहायता से निर्मित भवन का नवीनीकरण या मरम्मत हेतु।

494] प्राचार्य मार्गदर्शिका

- सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं _{निर्प} ागदाशका इन नियमों के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त विभाग प्रमुख (Additional Heads of Department) विभागित्रके कि विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य विभाजन कि (5) इन नियमों के प्रयोजनार्थ आतारकत प्रयास युज्य (कार्य कि विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य विभागाध्यक्ष की सभी अथवा किन्हीं वितीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्तें कि विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य विभाजन किया हिया है। (6)
- इन नियमों के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त कलेक्टर्स, कलेक्टर **के वित्तीय अधिकार सभी अध्वा कि**त्री वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन किया गया हो।
- ज प्रयोग कर सकत है, जुरार कार्यावत अधिकारी इन नियमों के अधीन कार्यालय प्रमुख की शक्तियाँ किया गया हो। का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन किया गया हो।
- ज्ञ ह, बशत कलक्टर कार का प्रभारी सचिव इन नियमों के प्रयोजनार्थ सचिवालय स्थापना के मामले वे (8) सामान्य प्रशासन विभाग का या कार्यालय प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता
- प्रशासन अकादमी, पुलिस, नगर सेना तथा वन के महानिदेशक (डाइरेक्टर जनरल) इन नियमों के (9) प्रशासन अकादमा, वाराज, सार उत्तार का प्रयोग करने के लिए उसके कार्यालय प्रयोजनार्थ मुख्यालय स्थापना के मामले में विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसके कार्यालय प्रमुख के
- वित्त विभाग इन नियमों के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष तथा/ या कार्यालय प्रमुख की सभी या कोई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अन्य किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है।
- अभी तक सामान्य प्रकरणों में राजपत्रित अधिकारियों के मामले में विभागाध्यक्ष और डिप्टी कमिश्नर को अग्रिम स्वीकृत करने और अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में कार्यालय प्रमुख को अग्रिम स्वीकृत करने के अधिकार थे। विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने के अधिकार और विकर्षण मंजूर करने के अधिकार राजपत्रित अधिकारियों था विशेष कारणा के एएए आश्रम मणूर प्रश्ना के जानकार अभूतिकार ग्रेस ने विभागाध्यक्ष और डिप्टी कमिश्तर को थे। **अव** के मामले में राज्य शासन और अरापत्रित कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष और डिप्टी कमिश्तर को थे। **अव** राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच यह भेद समाप्त कर दिया गया है। इसके अलाव अग्रिम और विकर्षण स्वीकृत करने के अधिकार निचले स्तर पर भी दिए गए हैं। इसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रत्यायोजन आदेश जारी किए गए थे उन्हें अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निरस्त माना जावेगा।

नियम 16 (1) में अग्रिमों की वसूली नियम में अभिदानों की उगाही के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुसार होगी, तथा जिस माह में अग्रिम का आहरण किया गया था उसके बाद वाले माह के वेतन से प्रारंभ होगी। अभिदाता जब निलंबन में हो तब बिना अभिदाता की सहमित के वसूली नहीं की जावेगी तथा अभिदाता की लिखित प्रार्थना पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी उन महीनों के लिए जिनमें अभिदाता पूरे महीने अर्ध वेतन अवकाश पर रहा है अथवा कम-से-कम आधा महीने असाधारण अवकाश पर रहा हो, वसूली स्थगित कर सकता है :

परन्तु उन मामलों में जहां नियम 32 के उपनियम (3) के चरण (ii) के अधीन अन्तिम भुगतान के लिए प्रार्थना पत्र लेखा अधिकारी को अग्रेषित कर दिया गया है, कोई अग्रिम न तो स्वीकृत किया जा सकता है और न आहरित किया

किस्तों की संख्या

नियम 15 के उपनियम (1) एवं (2) के अधीन स्वीकृत अग्निम की वसूली उतनी किस्तों में की जावेगी जितने में कि अभिदाता चाहता है, परन्तु 24 मासिक किस्तों से अधिक नहीं। [नियम 16 (2)] तथा उपनियम (3) तथा (4) के अधीन अग्रिम के मामलों में किस्तों की संख्या 36 से अधिक न हो। [ानयम 16 (2)] तथा उपानवन राज्य हो। जो केर्या किस्तों के संख्या 36 से अधिक न हो। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में होगी, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी किस्तों का निर्धारण करने के लिए अग्रिम की राशि में कमी की जा सकती है।

- (3) नियम 15 के उपनियम (3) के अधीन जब कोई अग्रिम पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त का भुगतान हैंने ही स्वीकार किया जाय जो उप पान की जिस्सा की अंतिम किस्त का भुगतान होने ক্যায়ে के पहले ही स्वीकार किया जाय तो इस प्रकार स्वीकृत किया गया अग्निम वसूली के लिए किस्तों की संख्या का निर्धा^ण एकजाई राशि के संदर्भ में किया जावेगा।
- जब तक नियम 15 के उपनियम अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित अग्रिम वसूल नहीं हो जाता है, नियम 5) के अधीन स्वीकृत अग्रिम अभिन्य वर्ष 15 के उपनियम (5) के अधीन स्वीकृत अग्रिम्, अभिदाता की मासिक परिलब्धियों के न्यनतम 12 प्रतिशत से कम ^{नहीं}.

हिष्णा अतः प्रत्येक किस्त में मूल अग्रिम की सिश रू. 210% होती है। प्रथम 44 किस्तों में ब्याज रु. 120% प्रति किस्त एवं शेष 36 किस्ता के ब्याज रूप 110% प्रति किस्त वसूल किया जा सकता है। धानने विन्ही कार्य कर्

अतः प्रथम 44 किस्तें रु. 330/- प्रतिमाह की दर से तथा शेष 36 किस्तें रु. 320/- प्रतिमाह की दर से वसूल इस नियमों से प्रयोजनायं जातीस्का कलकरा, कलकरा के वितीय अधिकार स**र्वे तिक्का कि कि**

उदाहरण.— (2) यदि कोई शासकीय सेवक वेतनमान रु. 1320— 2040 में मूल वेतन रु. 1360/- आहरित कर रहा है तथा वह 60 किस्ती में अग्रिम वसूली का विकल्प देता है। जिस्स के बिलालाई अर्डकिक (7)

-/0360 . ह वेतन हैं . 1360/-

में र्जमाम के नियाप प्रेलिश होते हैं कि सिंप के सिंप

ः एगेग कर मकते हे. बशत क्रवेवस द्वाग कार्य विभाजन किया नर्या

र्क मिकान अनु (हेड्रीकनर के अनुसार अग्रिम का 40% भाग ब्याज के रूप में देय होगा। तदनुसार ब्याज की राशि प्राचित्र माल्यालय स्थापमा के मामने में विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उसके प्रिकृतिक को हिए उ

अतः प्रत्येक किस्त में मूल अग्रिम की राशि रु. 190/- होती है। प्रथम 36 किस्तें रु. 270/- प्रतिमाह की दर होत्त्रशहुसेषा 24 किस्ते हुन् 260/ता प्रतिमाह की दर से तसूल की जा सकती है। ते वह पानवे नवे (01)

ारायों का प्रयोग करने के लिए अन्य किसी ऑबकारों को ऑडकृत कर म्**किकछोए मक्षफ हुई तीकृकि**

अभी तक यामान्य प्रकरणी मे राजपाँजत आधनर्मा **में निमाम** के मेहिल हेाष्ट्रमाणौर **िक**) कमिश्तर

प्रकारों विस्तर्म 13 के उपनियम (1) के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत करने हेतु कार्यालय प्रमुख सक्षम हैं। **कार्यालय प्रमुख** के मामुले में उनके नियंत्रण अधिकारी स्वीकृतिकारी प्राधिकारी होगेरी हैं जिस ग्रही महीहर प्रजी के प्रियाह एउँ हो

के मामल में राज्य शासन और असर्पातन कर्मचारियों के मिलते में निमामान्यक्ष और डिप्टी क्रीमरनर की थे। अब राज्यपित अधिकारियों और अस्पनुपत्रित कर्मचारियों के बीच यह भेड समस्ति केर दिया में हैं। इसके अलावा क्र प्राचनक (1) महाइ तिसम् 15 के उपनियम (2) के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत करने के लिए विभाग प्रमुख तथा जिलाध्यक्ष समक्ष प्राधिकारी होंगे। विभागाध्यक्ष के मामले में राज्य शासन कर प्रशासकीय विभाग सक्षम होगा। हा विभाग

सभी विभागों के क्षेत्रीय/संभागीय प्रमुखों को भी ये अधिकार दिए गए हैं कि हिस्सी (2)1996-ए-प्राप्त हे प्रक्रिया कि प्रक्रिया के उसके अपनि के विषय में प्रक्रिया निर्धारित है उसके मिर्मित महारू रहे हर सभी विभागी के जिला प्रमुख जो राजपत्रित वर्ग-१ श्रेणी के अधिकारी हैं, को भी विभागाध्यक्षों की अधिराजा ाथ निलंबन में हो तब बिना अधिराज की सहमति के वसूला नहीं की आवेगी किन्द्रानिकित निर्मिकित [1997] पूर्व के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के

प्रकृषिक के जान नियम 32 के उपनिवम (3) के बरण (6) के अवान अनिन में मातीन के लिए प्राचन ारकी हमात्रास्य सरकाई के विर्णयानुसार ऐसे समस्त जिला कार्यालय प्रमुखों जो केवल दिवीस श्रेणी के ही अधिकारी हैं, को चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों तथा जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में सामान्य कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने तथा आंशिक अंतिम विकर्षण की स्वीकृति के अधिकार दिनांक 1-4-1999 से दे दिए गए हैं।

म्हिली पिडीत कर्मचारियों के विशेष कारणों से लिए जाने बाले अग्रिम तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में सामान्य एवं किरोप कारणों के अग्रिम वथा आंशिक अंतिम विकर्षण की स्वीकृति के अधिकार कलेक्टर के दिए गए हैं।

क्रम्प्राट जहां कार्याल्य प्रमुखाप्रथम श्रेणी अधिकारी है, के विषय में वित्त विभाग के पूर्व आदेश कमांक जी. 25/31/ 95/सी/चार, दिनांक 12-251997 प्रधावते लोगू रहेंगेशाए कि मारील गाने के र्रुक एगोशने पर पिनाली प्रेश कि

हिरान हेन्य को अंतिम किस्त का भुगतान होने अग्रिम की अंतिम किस्त का भुगतान होने ण्यां कि कि कि स्थापना शाया के राजस्व, आवकारी तथा अन्य विभागों के मामलो में, जहां विभाग के जिला कार्यालय कलेक्टोरेट स्थापना के एक भाग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष समक्ष प्राधिकारी होंगे।

मारानी , हैं स्थिए कि इस सियमी के प्रयोजनार्थ अतिरिवत आयुक्त (एडीशनल कमिश्नर) विभाग प्रमुख की सभी अथवा कोई कितीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बशतें कि संभागीय आयुक्त द्वारा कार्य विभाजन किया गया हो।

492] प्राचार्य मार्गदर्शिका

सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं नियम

- अग्रिम का भगतान महालेखाकार कार्यालय से जारी वार्षिक लेखा पर्ची के आधार पर ही किया जावे। (iv)
- नियम 16(4) के अंतर्गत वसूल की जा रही किस्त में मूलधन एवं ब्याज की राशि का पृथक पृथक (v) उल्लेख जी.पी.एफ. शिड्यूल में किया जावे। इस प्रविध्टि को लाल स्याही से अंकित किया जावे। वसुल किए गए ब्याज को नियम 14 (6-ए) के अंतर्गत महालेखाकार कार्यालय द्वारा समायोजन किया
- अग्रिम का भुगतान ब्याज एवं मूलधन की गणना की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम 100 के (vi) पूर्णांक में किया जावे। उदाहरणार्थ यदि किसी अभिदाता को नियम 15 (5) के अंतर्गत रु. 15,480/ के अग्रिम की पात्रता आती है, तो उसे अधिकतम रु. 15400/- ही स्वीकृत किए जावें।
- ब्याज एवं मूलधन की गणना 20, 40, 60, 80, 100 एवं 120 किस्तों में किए जाने हेत रु. 1000/- के अग्रिम को आधार मानते हुए एक रेडीरेकनर तैयार किया गया है, जो इन निर्देशों के साथ संलग्न है। व्याज की गणना वर्तमान में प्रचलित ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए (Equated Monthly Instalments) पद्धति पर निकाली गई है। प्रत्येक प्रकरण में किस्त की गणना इस तरह से की जावे ताकि ब्याज एवं मूलधन की राशि निकटतम रु. 10/- के पूर्णीक में हो। अंतिम किस्त/ किस्तों को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है। इस संबंध में उदाहरण संलग्न है।
- (viii) रेडीरेकनर में ब्याज दर उस स्थिति में लागू होगी, जब किस्तों की लगातार वसूली बिना किसी ट्रट (Break) के जारी रहे। यदि किसी कारण वसूली में टूट होती है, तो अभिदाता से उस छूट अवधि (Broken period) का 14% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पृथक् से वसूल कर अगली किस्त में जोड़ा जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी.पी. सिंघल, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

रेडीरेकनर रु. 1000/- मूलधन को आधार मानते हुए ब्याज का गणना पत्रक

	-	91 1-111 1	~~,
किस्तों की संख्या	मूलधन	ब्याज दर (मूलधन का प्रतिशत)	कुल ब्याज राशि
20	रु. 1000/-	13%	₹. 130/-
40	₹. 1000/-	25%	₹. 250/-
60	₹. 1000/-	40%	₹. 400/-
80	₹. 1000/-	55%	₹. 500/-
100	र. 1000/-	70%	₹. 700/-
120	रु. 1000/-	90%	₹. 700/-
77/7700			₹. 900/-

यदि किसी अभिदाता को रु. 17,200/- अग्रिम स्वीकृत किया जाता है एवं वह किस्तों में वापसी का विकल्प देता है तो सम्पूर्ण ब्याज की गणना 17200 X 90% = 15,490/– होगी।

उदाहरण :- (1) अभिदाता का मूल वेतन रु. 2000/- मासिक है तथा वह वसूली हेतु 80 किस्तों का विकल्प देता है।

- (1) मूल वेतन रु. 2000/-
- अग्रिम की पात्रता रु. 2000/- का 840% अर्थात् रु. 16,800/-(2)
- किस्तों की संख्या 80

अतः रेडीरेकनर के अनुसार अग्रिम का 55% भाग ब्याज के रूप में देय होगा। तदनुसार ब्याज की रा^{शि} ह. 9240/- होगी।

सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं नियम

प्राचार्य मार्गदर्शिका [491

- (7) नियम 16 (ए)-(4) में वर्ष 1987 में का राज्य शासन ने गृह निर्माण अग्रिम तथा भविष्य निधि के लेखे से प्राप्त ऋण की राशि की अधिकतम सीमा रूपये 1,50,000/- निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर अब रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) कर दिया है।
- (8) राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक 1885/12/15/आर-2/चार, दिनांक 4 अगस्त 1964, क्रमांक 611-472/आर-2/चार, दिनांक 6 मार्च 1967, क्रमांक 164-चार/नि-2/69, दिनांक 25 जनवरी, 1969 और क्रमांक 2750/ए-2270/नि-2/चार, दिनांक 3 दिसम्बर 1970 द्वारा जारी निर्देश और अन्य निर्देश जो संशोधित नियमों के प्रतिकूल हैं, अधिसूचना जारी होने की तारीख से समाप्त माने जावेंगे।
- (9) अतिरिक्त अधिकार सौंपे जाने के साथ-साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे नियमों का पालन सावधानीपूर्वक करेंगे।

भविष्य निधि के अन्तर्गत अग्रिम पर ब्याज की गणना मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

क्रमांक जी- 25/12/98/सी/चार,

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कमिश्नर, समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

विषय.—मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 15(5) के अंतर्गत भवन निर्माण हेतु देय अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की गणना के संबंध में निर्देश।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 15(5) के अंतर्गत ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली है तथा जिन्हें सेवानिवृत्ति हेतु 15 वर्ष से अधिक समय है, को उनके वेतन का 840% तक अग्रिम गृह निर्माण हेतु प्राप्त हो सकेगा। इस अग्रिम की वापसी हेतु नियम 16(4) में, तथा ब्याज दर हेतु नियम 15 (7) में प्रावधान अंकित है।

- 2. नियम 16(4) में अग्रिम वसूल किए जाने वाली किस्तों की अधिकतम संख्या तथा ब्याज एवं मूलधन की पृथक्-पृथक् राशि की गणना की स्थित स्पष्ट न होने के कारण विभिन्न विभागों से स्पष्टीकरण चाहे जा रहे थे। सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करने के उपरान्त अग्रिम एवं ब्याज की वसूली हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—
 - (i) नियम 15 (5) के अंतर्गत भुगतान किए गए अग्निम एवं उस पर ब्याज की वापसी अधिकतम 120 किस्तों में की जावेगी। अभिदाता यदि इससे कम किस्तों में अग्निम की वापसी करना चाहता है तो उसे यह विकल्प होगा कि वह यह वापसी क्रमशः 20, 40, 60, 80, 100 एवं 120 किस्तों में ही करें। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। इसकी (Re-Scheduling) नहीं होगी। इस हेतु नियामें में संशोधन की अधिसूचना पृथक् से जारी की जा रही है।
 - (ii) स्वीकृत किए गए अग्रिम आदेश की सम्पूर्ण विवरण सिंहत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जावे। स्वीकृति आदेश में किस्तों की संख्या, ब्याज एवं मृलधन की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (iii) किन्हीं प्रकरणों में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि किस्तों की राशि कुल के एक तिहाई से अधिक हो। ऐसी स्थिति में अभिदाता से लिखित सहमित प्राप्त की जानी होगी कि वह एक तिहाई से अधिक राशि की वसूली हेतु सहमत है।

(1)	(2)	(3)
तृतीय समूह	6500—10,500/-	तीन माह का मूल वेतन अथवा
	10,000—13,000/-	रुपय 18,500.00
	10,000—15,200/-	जो भी कम हो।
	10,650— 15,850/-	
ग्तुर्थ समूह	12,000—16,500/-	तीन माह का मूल वेतन अथवा
	14,300—18,000/-	रुपये 27,000.00
	16,400—20,000/-	जो भी कम हो।
	18,400—22,400/-	

- 2. यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त सारणी के कालम (3) में उल्लिखित राशि से अधिक राशि सामान्य भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत भी अग्रिम के रूप में स्वीकृत नहीं की जावे।
- 3. मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 15 (2) के अंतर्गत विशेष कारणों के आधार पर स्वीकृत की जाने वाले अग्रिम की राशि दर्शाई सीमा का अधिकतम दो गुना होगी।

वि.वि.क्र.जी. 25-6-2000-सी.चार, दिनांक 24-11-2001 नियम 16 (ख)-(1) खण्ड-एक— चिकित्सा तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मन्जूरी अधिकारी जमा राशि का 75% या प्रवेश फीस या अन्य फीस के बराबर रकम जो भी कम हो, रकम मन्जूर कर सकेगा।

16 (ख) (3) खण्ड (1) गम्भीर बीमारी जैसे हृदय शल्य क्रिया, केंसर, किडनी प्रत्यारोपण में खाते में पर्याप्त राशि अतिशेष रखते हुए 10 माह के वेतन के बराबर राशि मन्जूर की जा सकेगी।

नियम 16-ए के उपनियम (1) के खण्ड (ए) के उपखंड (डी) में शब्द 'हजयात्रा' के स्थान पर शब्द 'हजयात्रा या तीर्थयात्रा' स्थापित किए जाएं।

(7) मकान क्रय हेतु ऋण-

- (1) पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर, अभिदाता के खाते में जमा सम्पूर्ण राशि तक अस्थाई आग्रम रहने का मकान क्रय करने अथवा बनाने के लिए अथवा फ्लेट क्रय करने के लिए, रहने का मकान या फ्लेट का आवंटन कराने के लिए अग्रिम भुगतान की पूर्ति हेतु स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
- (2) पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर तथा अभिदाता के अधिवार्षिकी दिनांक से 15 वर्ष पहले, रहने का मकान या फ्लेट बनाने या क्रय करने हेतु मासिक वेतन का 84% धनराशि निधि के उस खाते में जमा राशि को ध्यान में रखे बिना अभिदाता को स्वीकृत की जा सकती है। इस मामले में उपनियम (4) के अन्तर्गत इसी उद्देश्य हेतु दिए ^{ग्ए} अग्रिम के अलावा यह अग्रिम होगा।

टिप्पणी.— स्वीकृतकर्ता पदाधिकारी अभिदाता से मृत्यु, त्याग पत्र, पृथक्करण, बरखास्तगी, इत्यादि के ^{मामले} में वसूली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जमानत प्राप्त करेगा।

- (3) सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम के लिए प्रार्थना पत्र परिशिष्ट 'क' प्रारूप में होगा।
- (4) उपनियम (5) के अन्तर्गत अग्रिम के मामले में अभिदाता नियम 14 के अधीन निर्धारित ब्याज दर से
 2 प्रितशत अधिक दर से ब्याज देगा तथा नियम 16 के उपनियम (4) में उल्लिखित रीति से अभिदाता द्वारा चुकता किया जायेगा।

नोट.— नियम 15 (5) के अंतर्गत ऋण पर प्रतिबन्ध है।

- (5) अभी प्लाट खरीदने और मकान खरीदने और बनाने के लिए जो अग्रिम मिलता है, उसकी सी^{मा वही} थी जो अन्य प्रयोजनों के लिए थी। अब 5 साल की सेवा पूरी कर लेने पर अंशदाता के खाते में जमा पूरी रा^{शि अग्रिम} के रूप में दी जा सकेगी।
- (6) जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के कम-से-कम 15 साल बाकी हैं, उन्हें अपने खाते में ^{जमा} राशि से अधिक अग्रिम भी दिया जा सकेगा। इस अग्रिम पर शासकीय सेवक से ब्याज लिया जावेगा जिसकी ^{दूर सामान्य} भविष्य निधि से जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी।

_{सार्वभौम} प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं नियम

प्राचार्य मार्गदर्शिका [489

• वित्तीय सीमा

तीन माह के वेतन के बराबर राशि से अधिक नहीं अथवा अंशदाता के खाते में जमा के आधे से अधिक नहीं अस्थायी अग्रिम स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के विवेक पर स्वीकृत किया जा सकता है।

विशेष कारणों के आधार पर वित्तीय सीमा

[नियम 15 (1)]

नियम 15 के उपनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के आधार पर स्वीकृत की जाने वाली राशि उपरोक्त दर्शीयी सीमा का अधिकतम दो गुना होगी।

[उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2336/1921/98/सी/चार, दिनांक 30-12-1998 द्वारा जारी किए गए हैं।]

• सामान्य भविष्य निधि से राशि आहरण पर प्रतिबंध

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 784/99/सी/चार, दिनांक 26 अप्रैल, 1999 के द्वारा आगामी आदेश तक निम्न प्रयोजनों के अलावा सामान्य भविष्य निधि लेखा से राशि आहरण पर प्रतिबंध लागू किया गया 言:一

स्वयं तथा बच्चों के विवाह संबंधी व्यथ हेत्। 1.

स्वयं, पति, पत्नी, बच्चों तथा आश्रित माता-पिता पर होने वाले चिकित्सा व्यय हेतु। 2.

यदि आवासीय भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया हो तो निर्माण पूर्ण करने हेतु। 3.

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग (मंत्रालय)

क्रमांक 2336/1921/98/सी/चार,

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर, 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर, समस्त कमिश्नर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर,

विषय.— सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998, दिनांक 1 जनवरी 1996 से प्रभावशील होने के उपरांत कतिपय विभागों से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम नये वेतनमान के आधार पर स्वीकृत किए जावें अथवा पुराने वेतनमान के आधार पर स्वीकृति दी जावे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सामान्य भविष्य निधि खाते से पुनरीक्षित वेतनमान के समूहों के आधार पर मध्यप्रदेश भविष्य निधि नियम के नियम 15 (1) के अंतर्गत अस्थाई अग्रिम निम्नानुसार स्वीकृत किया जावे :—

मध्यप्रदेश भविष्य निधि	वियम के लिया है जिल्ला है जिल्ला हों	सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत की जीन
समूह क्रमांक	पुनरीक्षित वेतनमानों	जाने वाली अधिकतम अग्रिम राशि
ange manar	का समूह	(3)
(1)	(2)	तीन माह का मूल वेतन अथवा
(2)	2550—3200/-	रुपये, 7,500.00
प्रथम समूह	2610-3540/-	
	2750—4400/-	तीन माह का मूल वेतन अथवा
	4000—6000/-	रुपये 11,500.00
द्वितीय समूह	4500 — 7000/-	जो भी कम हो।
	5000 8000/-	
	5500—9900/-	

488] प्राचार्य मार्गदर्शिका

पर निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि से अभिदाता को तीन माह के वेतन के बराबर अथवा अभिदाता के खाने में जमा के आधे के बराबर अस्थाई अग्रिम स्वीकार किया जा सकता है, यथा—

(ए) प्रार्थी, प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की गंभीर या लंबी बीमारी के सिलसिले में की गई यात्रा खर्च सिंहत खर्चों के भुगतान हेतु।

टिप्पणी- अभिव्यक्ति खर्चें जो गंभीर अथवा लंबी बीमारी के सिलसिले में किए गए हैं, में कृत्रिम दांत तथा श्रवण यंत्रों पर किए गए व्यय भी सम्मिलित हैं।

- (बी) प्रार्थी अथवा प्रार्थी की पत्नी की प्रसूति के सिलिसिले में किए गए खर्चों के भुगतान हेतु बशर्त यह हि
 प्रार्थी के दो से अधिक जीवित बच्चे न हों।
- (सी) यात्रा व्यय सिंहत भारत के बाहर प्रार्थी के, प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य के अथवा प्रार्थी पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति के शिक्षा के खर्चे की पूर्ति हेतु।
- (डी) भारत में हाई स्कूल से ऊपर प्रार्थी के, प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य अथवा प्रार्थी पर वास्तिक रूप से आश्रित किसी सदस्य की तकनीकी या विशेषीकृत पाठ्यक्रम पर यात्रा व्यय सहित शिक्षण है खर्चें की पूर्ति हेतु।
- (इ) प्रार्थी की हैसियत के अनुरूप मान से अनिवार्य खर्चों की पूर्ति हेतु जो कि परम्परागत रीति रिवाज से प्रार्थी को सामाजिक अथवा धार्मिक संस्कार के संबंध में व्यय करना हो।
- (एफ) शासकीय धन की हानि की पूर्ति करने हेतु।
- (जी) फौजदारी मामले में अभिदाता का बचाव के सिलसिले में खर्चें की पूर्ति हेतु।
- (एच) अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह के संबंध में किए गए कृत्य का अभिप्रदाय होने पर स्वयं की स्थिति निर्दोष सिद्ध करने के लिए अभिदाता द्वारा संस्थापित वैधानिक कार्यवाही के खर्च की पूर्ति हेतु, इस मामले में अग्रिम इसी प्रयोजनार्थ अन्य किसी शासकीय स्रोत से प्राप्त अग्रिम के अलावा होगा :

परन्तु उस अभिदाता को अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा जो किसी विधि समस्त न्यायालय में या तो किसी ऐसे मामले के संबंध में वैधानिक कार्यवाही संस्थापित करता है जो उसके कार्यालयीन कर्त्तव्य निर्वाह से संबंधित नहीं है अथवा किसी सेवा शर्त या उसे दिए गए दंड पर शासन के विरुद्ध हो।

- (आई) जब किसी विधि न्यायालय में किसी निजी व्यक्ति द्वारा अभिदाता के विरुद्ध उसके कार्यालयीन कर्तव्य निर्वाह के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गई हो, के बचाव की पूर्ति हेतु।
- (जे) वित्त संहिता, भाग 1 के नियम 282 के अन्तर्गत अभिदाता से जमानत की राशि देने की अपेक्षा की गई है, की पूर्ति हेतु।
- (के) निवास के प्रयोजनार्थ भूखंड, फ्लेट या मकान के मूल्य की पूर्ति हेतु या आवंटन कराने हेतु अग्रिम जमा करने के लिए।
- (2) विशेष कारणों के अलावा, उपनियम (1) के अन्तर्गत अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक पूर्व में लिया अग्रिम पूर्णतः चुकता होने के बाद कम-से-कम 12 माह न हो जायें।

टिप्पणी—इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, केवल शादियां तथा गंभीर बीमारियां जैसे उद्देश्य ही 'विशेष कारण' माने जायेंगे। इस नियम के अन्तर्गत सामान्यतः आगे अग्रिम स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[नियम 15 के उपनियम (2) के नीचे टिप्पणी

(3) विशेष कारणों के लिए उपनियम (1) में निर्धारित से अधिक अग्रिम स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी स्वीकृत ^{कर} सकता है परन्तु शर्त यह होगी कि निधि में अभिदाता के खाते में एक माह के वेतन के बराबर न्यूनतम शेष रहे।

म.प्र. शासन वित्त विभाग (मंत्रालय)

क्र. जी/25/31/सी/चार

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1996.

इस विषय पर अन्य सभी निर्देशों को निरस्त करते हुए पास बुक संधारण के बारे में नीचे दिये अनुसार समेकित निर्देश प्रसारित किया जाते हैं :—

- पास बुक का संधारण अनिवार्य होगा। संधारण का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा। (1)
- एक पास बुक संबंधित शासकीय सेवक के पास रहेगी। (2)
- कार्यालय प्रमुख द्वारा पास बुक शासकीय प्रेस, कोषालय अथवा बाजार से खरीद कर निःशुल्क शासकीय सेवक (3) को दी जायेगी।
- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पास बुक की प्रविष्टियां शासकीय सेवक की सुविधा के अनुसार हर महीने (4) अथवा कुछ माह बाद लेकिन साल में कम-से-कम एक बार प्रमाणित की जायेंगी।
- अगर वित्तीय वर्ष के दौरान शासकीय सेवक द्वारा कोई अग्रिम/विकर्षण लिया गया है तो वित्तीय वर्ष के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी को पास बुक पर नीचे लिखे अनुसार प्रमाण पत्र अंकित करना होगा :— (5) ''प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के सभी कटोत्रे और अग्रिम/विकर्षण की प्रविष्टियां पास बुक में की गई हैं।"
- अगर वित्तीय वर्ष के दौरान शासकीय सेवक का तबादला होता है तो भी इसी तरह का प्रमाण पत्र जी.पी.एफ. (6) पास बुक में दर्ज होगा।
- अग्रिम/विकर्षण के आहरण के बाद राशि के वितरण के पहले इसकी प्रविष्टियां पास बुक में करने की जिम्मेदारी (7)आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी।
- मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 16(ए) के उपनियम (3) के तहत विकर्षण के समय पास बुक को आधार माना जा सकता है। इसी तरह नियम 15 के उपनियम (1), (2) और (3) के तहत अग्रिम (8) -स्वीकृत करने के लिए पास बुक को आधार माना जा सकता है।
- मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों के नियम 15 के उपनियम (4) और (5) के तहत स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा महालेखाकार द्वारा दी गई आखिरी वार्षिक लेखा पर्ची में दिए अवशेष और उसके बाद पास बुक (9) की प्रविष्टियों को आधार मानकर अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।
- महालेखाकार दल के द्वारा स्थानीय निरीक्षण और संचालनालय, कोष एवं लेखा के आंतरिक आडिट के दौरान पास बुक की प्रविष्टियों का सत्यापन किया जायेगा। (10)
- आहरण संवितरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक वर्ष महालेखाकार कार्यालय से वार्षिक लेखा पर्चियां प्राप्त होने पर बैलेंस का मिलान पास बुक के बैलेंस से करें। जमा राशि में किसी प्रकार की विसंगति होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक दल महालेखाकार कार्यालय में भेजकर रिकन्सीलियेशन करवाया जायेगा। ऐसी (11)स्थिति में जबिक वार्षिक लेखा पर्चियां ही प्राप्त न हों, तब भी कार्यालय प्रमुख महालेखाकार कार्यालय से लेखा पर्चियां अनिवार्यतः प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार तथा रिकन्सीलियेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
- महालेखाकार द्वारा राज्य शासन की जानकारी में ऐसे बहुत से प्रकरण लाये गये हैं जहां आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने कटौती की प्रविष्टि पास बुक में नहीं की है। इसके फलस्वरूप शासकीय सेवक को बैलेन्स से भी अधिक अग्रिम/विकर्षण स्वीकृत कर दिया गया है और बाद में अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति निर्मित (12)हो गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।

11(क). अस्थाई अग्रिम—नियम 15(1) निम्नानुसार में से किसी उद्देश्य हेतु स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के विवेक जी.पी.एफ. जमा राशि से अग्रिम : . 11.

486] प्राचार्य मार्गदर्शिका

सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं _{नियम}

जमा राशि पर ब्याज

- **ख्याज** भविष्य निधि में वर्ष 2001-2002 में जमा राशि पर 9.50% की दर से ब्याज देय हैं। _{म.प्र} शासन, वि.वि.क्र.एल./9/1/2001/ब-7/चार, दिनांक 3-5-2001।
- भविष्य निधि में 1-4-2002 से 31-3-2003 तक जमा राशि पर ब्याज 9% की दर से देय होगा। म_{.प्र} शासन, वि.वि.क्र.एल-9-11-2002/ब-7/चार, दिनांक 20-5-2002।

अंशदाता को खाते में जमा राशि पर उस दर से ब्याज प्राप्त होगा, जैसा शासन समय-समय पर घोषित को। ब्याज की गणना निम्न विधि से की जाएगी:---

- अंशदान वेतन से वसूल करने की दशा में जमा करने का दिनांक उस महीने का प्रथम दिवस माना (1) जायेगा जिसमें वसूली हुई है। यदि किसी माह का वेतन अंतिम कार्य दिवस या अंतिम सप्ताह के किसी भी दिन आहरित कर भुगतान किया जाता है तो अंशदान जमा की तारीख अनुवर्तीमाह की पहली तारीख ही मानी जाएगी।
- नोट.— म.प्र. शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र. एल.9/2001/ब-7/चार, दिनांक 3-5-2001 से 1-4-2001 से 31-3-2002 तक ब्याज दर 9.5% निर्धारित की है।
- जहां किसी अंशदाता का वेतन अथवा अवकाश वेतन जिसमें अंशदान की वसूली की गई है, ब्याज (2) उस माह से देय होगा जिस माह में वेतन/अवकाश वेतन आहरित किया गया है।

इस प्रकार पिछले वर्ष की जमा राशि पर 12 माह का ब्याज तथा चालू वित्तीय वर्ष की जमा राशि पर 12 माह का ब्याज चालू वर्ष में लिए गए आहरण को कम करके।

- कर्मचारी को भवन क्रय/निर्माण आदि के लिए उसके भविष्य निधि खाते से अधिक राशि अग्रिम के रूप (3) में दी जा सकेगी। इस अधिक राशि पर सामान्य भविष्य निधि ऋण की ब्याज के दर से 2% अधिक ब्याज दर लगेगी। ब्याज चक्रवृद्धि लगेगा तथा यह ब्याज निम्न मद में जमा किया जायेगा, यथा "Interest on overdrawal from Provident Fund"
- बोनस.— नियम 14-(ए) (1) राज्य शासन उन अंशदाताओं को, जो अपनी भविष्य निधि से किसी (4) एक वर्ष या वर्षों के एक खण्ड जैसा भी निर्देशित किया जावे, में कोई भी राशि का आहरण नहीं करेगा तो उस दर से, जो आदेश में दी हो, बोनस का पात्र होगा।

नोट.— यह नियम 1-4-1976 से लागू। (म.प्र. अधि.क्र. 6/25/अ/95/सी.आई.वी.)

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

क्र. 9/1/2002/ब-7/चार.

भोपाल, दिनांक 20 मई 2002

भविष्य निधियों पर ब्याज (1-4-2002 से 31-3-2003) तक निधियाँ :—

निधियाँ — (1) सामान्य भविष्य निधि, (2) अंशदायी भविष्य निधि, (3) पटवारी विशेष भविष्य निधि, (4) म.भा. जीवन बीमा निधि पर वर्ष 2002-2003 में 9% ब्याज देय होगा।

वर्ष 2005-2006 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में जमा राशियों पर ब्याज की दर का निर्धारण

संदर्भ.—मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (मंत्रालय) ज्ञाप क्र. एफ-9-1/2005/ब-7/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2005 1-4-2005 से 31-3-2006 तक 8% प्रतिवर्ष ब्याज दर.

(1) सामान्य भविष्य निधि, (2) अंशदायी भविष्य निधि, (3) पटवारी विशेष भविष्य निधि, (4) मध्यभारत जीवन बीमा निधि, (5) विभागीय भविष्य निधि सभी मध्यप्रदेश शासन की।

जी.पी.एफ. पास बुक का संधारण

जी.पी.एफ. पास बुक दो प्रति में होगी तथा एक कर्मचारी के पास रहेगी, उसका संधारण अनिवार्य होगा। इस संबंध में जारी निर्देश निम्नानुसार हैं :--

सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं नियम

प्राचार्य मार्गदर्शिका [485

- (3)
- अंशदान में बढ़ोत्तरी या कमी वर्ष के मध्य में नहीं होगी, चाहे वेतन में परिवर्तन हो जावे। अंशदाता की माह के दौरान मृत्यु होने पर उस माह उसको मिलने वाली राशि में से सामान्य भविष्य (4)
- अंशदान् जमा कराना— यदि कोई अंशदाता अपना वेतन शासकीय कोषालय के अतिरिक्त अन्य (2)स्रोतों से प्राप्त करता है, तो उसे अंशदान की राशि लेखाधिकारी को स्वयं अग्रेषित करनी होगी।

अभिदान की राशि का निर्धारण

नियम 11(3) के अनुसार अभिदाता उसके मासिक अभिदान की सूचना निम्नानुसार विधि से अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा-

- यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर था तो वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में (i) जो राशि जमा कराना चाहता है।
- यदि वह पिछले वर्ष के 31 मार्च को अवकाश पर है तथा उसने अवकाश के दौरान अभिदान नहीं देने (ii) का चयन किया है अथवा उस दिन निलंबित है, तो कर्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम वेतन देयक से काटी जाने वाली अभिदान की राशि से।
- यदि वह पहली बार वर्ष के दौरान शासकीय सेवा में प्रविष्ट हो रहा है तो अपने वेतन देयक से इस (iii) संबंध में काटी जाने वाली राशि से।

इस प्रयोजनार्थ परिलब्धियां होंगी :--टिप्पणी:-

जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को कर्तव्य पर है, परिलब्धियां जो वह उस दिनांक को पाने का पात्र होता यदि वह उस दिनांक को अवकाश पर है तथा अवकाश के दौरान अभिदान नहीं करने का चयन किया है अथवा निलंबन में है, कर्तव्य पर उपस्थित होने पर जिन परिलब्धियों का वह पात्र होता।

- उपरोक्तानुसार नियत किए गए अभिदान की दर में वर्ष के दौरान कोई फेर-बदल नहीं होगा चाहे उसके (iv) वेतन की दर में बढ़ोत्तरी या कमी जो कि पिछले वर्ष के 31 मार्च को अन्ततोगत्वा देय हो चुकी है अथवा वर्ष के दौरान देय होगी, किन्तु केवल निम्न परिस्थितियों में फेर-बदल हो सकता है :-
 - यदि अभिदाता माह के कुछ भाग में कर्तव्य पर रहे तथा कुछ भाग में बिना वेतन अवकाश (अ) पर रहे और उसने अवकाश की अवधि का अभिदान नहीं देने का चयन किया हो,
 - किसी माह के दौरान मृत्यु हो जाने पर अभिदान नहीं काटा जावेगा। ानियम 11] (ৰ)

प्रतिनियुक्त शासकीय सेवकों के मामले में अभिदान 07.

बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये शासकीय सेवक इन नियमों के अधीन उसी प्रकार अभिदाता बने रहेंगे जिस प्रकार वे ऐसी सेवा में जाने के पूर्व थे।

08.

जहां शासकीय सेवकों को उनका वेतन शासकीय खजाने से प्राप्त होता है वहां अंशदान, अग्रिम तथा अग्रिम

का मूल और ब्याज की वसूली उसकी परिलब्धियों से की जावेगी। जहां वेतन अन्य किसी स्रोत से प्राप्त होता है वहां अंशदाता अपनी देनिगयां लेखा अधिकारी को भेजेगा। [नियम 13]

राज्य शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य निधि में मासिक अभिदान वेतन का 12% से कम न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आहरण अधिकारी की होगी। यदि किसी के वेतन से कम जमा हो रहा हो तो एरियर्स की राशि जमा कराई जावे।

शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि माह जुलाई 1999 के वेतन देयक में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय कि देयक में सम्मिलित किसी कर्मचारी के अंशदान की कटौती 12% से कम नहीं है। _{|वित्त} विभाग क्रमांक 1255/99/सी/चार, दिनांक 6-7-1999]

सार्वभौम प्रकृति की वित्तीय योजनाएं एवं _{नियप}

484] प्राचार्य मार्गदर्शिका

भाषाच नागपाराच्या महिला अंशदाता के मामले में उसका पति तथा बच्चे और अंशदायी के मृतक पुत्र की विधवा अथवा _{विधवाएं} [नियम_{8]} तथा बच्चे।

बच्चों में सम्मिलत— वैध बच्चे। टीप-

मनोनयन का प्रपत्र [नियम 8 (3)]

		Į.	744 0 (-11		
मनोनीत व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम नाम	अंशदाता से संबंध	मनोनीत व्यक्ति की आयु	प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति को देय भाग अवैध हो जावेगा	वे आकस्मिकताएं जिनके होने पर मनोनयन मनोनीत व्यक्ति की मृत्यु होने पर मनोनीत होगा	उन व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम पता, संबंध जिसे अंशदाता से पूर्व
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
साक्ष्य 2					ांशदाता के हस्ताक्षर
				कार्याल	ाय प्रमुख के हस्ता ^{क्ष}

अभिदान का बंद होना 04.

अभिदान की राशि

05.

शासकीय सेवक निलम्बन काल, तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व चार माह में सामान्य भविष्य निधि में अंशदान न जमा कर सकेगा। इसके अतिरिक्त जब शासकीय कर्मचारी पूरे माह अर्धशासकीय अवकाश पर हो या आधे माह बिना वेतन असाधारण अवकाश पर हो, उस माह भविष्य निधि अंशदान न जमा करने का विकल्प दे सकेगा।

[नियम 10 (संशोधित)]

- सामान्य भविष्य निधि अंशदान पूर्ण रूपयों में होगा तथा अंशदाता द्वारा स्वयं निर्धारित किया जावेगा। यह कुल प्राप्तियों की राशि से 12% से कम तथा कुल उपलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती। यह दर 1-4-2000 है लाग। लागू। [नियम 11 (1)]
 - परन्तु जब अंशदाता भवन निर्माण ऋण जमा करा रहा हो तो वह अंशदान को कुल प्राप्तियों के 7% (2) तक, तथा वर्तमान में जमा कराई राशि के 75% तक कम कर सकता है।
- म.प्र. शासन, वि.वि.क्र.जी. 25/2/2000/सी-चार, दिनांक 25-2-2000 से न्यूनतम 12% निर्धारित। 1

परिशिष्ट क्र. इक्कीस

कंडिका 73 के तहत

मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 सारांश एवं आधारभूत जानकारी

01. प्रभावशीलता

इन नियमों का नाम मध्यप्रदेश भविष्य निधि नियम, 1955 है और यह नियम दिनांक 1-4-1955 से प्रभावशील हैं किन्तु राज्य शासन के सभी कर्मचारियों के लिए यह नियम दिनांक 1-5-1965 से अनिवार्यंतः लागू किए गये हैं।

यह नियम राज्य शासन के सभी शासकीय सेवकों को जिनकी सेवा शर्ते निर्धारित करने के लिए राज्य शासन सक्षम है, को लागू होंगे।

निधि का गठन तथा अभिदान की पात्रता

- (i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण है।
- (ii) समस्त शासकीय सेवक जिनकी सेवा शर्तें तय करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है, निधि में अभिदान करने के पात्र हैं, किन्तु उन्हें छोड़कर जो ठेके पर रखे गये हैं या पुनर्नियुक्ति पर हैं।
- (iii) समस्त शासकीय सेवक जो निधि में अभिदान करने के पात्र हैं, निधि में अनिवार्य रूप से अभिदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार चाहे तो आदेश द्वारा किन्हीं विशेष वर्ग के शासकीय सेवकों को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

03. मनोनयन (नामांकन) :

निधि में जमा धनराशि भुगतान योग्य होने के पूर्व अंशदाता की मृत्यु होने पर या अन्य परिस्थिति में भुगतान न हो पाने की दशा में धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करते हुए अंशदाता एक या अधिक व्यक्तियों के नाम पर विहित प्रारूप में मनोनयन करेगा और सूचना लेखाधिकारी को देगा :

परन्तु मनोनयन के समय यदि अंशदाता का परिवार है, तो मनोनयन परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। [नियम 8]

तात्पर्य यह है कि निधि का सदस्य बनते ही प्रपत्र जी.पी.एफ. 3 में मनोनयन (नामांकन) भर कर कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत करें, तथा उसकी पावती कार्यालय से प्राप्त करें। यह उनके हित में है। मनोनयन परिवार के सदस्यों के नाम से ही किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी मनोनयन के समय अविवाहित है और बाद में यदि उसका विवाह हो जाता है तो उसे चाहिये कि पूर्व का मनोनयन निरस्त कर एक नया मनोनयन प्रस्तुत करें।

अंशदाता का परिवार होने की दशा में मनोनयन परिवार के सदस्यों के पक्ष में करना होगा। मनोनयन प्रपत्र-जी.पी.एफ.- 3 में होगा जो निम्नानुसार है :—

मनोनयन का प्रपत्र- G.P.F. - 3 नियम 8 (3)

मैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो नियम 8 द्वारा परिभाषित हैं, सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के अन्तर्गत जमा निधि के मेरी मृत्यु हो जाने पर अथवा मेरे द्वारा पाने के अधिकारी होने के पश्चात् मुझे धन न मिल पाने की स्थिति में अधिकारी होंगे:

मनोनयन प्रस्तुत करने की प्रविष्टि सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जानी चाहिए। यदि कोई अंशदाता एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो उसे चाहिए कि वह नामांकित व्यक्तियों में से प्रत्येक को देय धनराशि अथवा अंश का खुलासा भी करे।

अंशदाता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित में सूचना भेजकर मनोनयन निरस्त करा सकता है, परन्तु ऐसी सूचना के साथ एक नया मनोनयन अवश्य भेजा जाना चाहिए।

परिवार से तात्पर्य पुरुष अंशदाता के मामले में अंशदाता की पत्नी अथवा पत्नियां और बच्चे, अंशदाता के मृतक पुत्र की विधवा, विधवाएं तथा बच्चे।

482] प्राचार्य मार्गदर्शिका

प्राचार्य की भूमिका (भविष्य निधियों के सम्बन्ध में)

- प्रत्येक माह की 15 तारीख को **भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटन हेतु** नवनियुक्त कर्मचारियों के नाम का पत्रक महालेखाकार को भेजा जावेगा।
- कर्मचारियों को महालेखाकार द्वारा आवंटित लेखा संख्या सम्बन्धित की सेवा पुस्तिका व भी दर्ज की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह संख्या तथा कर्मचारी क 2. ना पुजा का जाना जाएए। नाम आदि प्रत्येक माह के कटोत्रा पत्र में तथा स्थानान्तर पर अंतिम प्रमाण-पत्र में सही लिखा जा रहा है।
- प्रत्येक शासकीय सेवक से निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन प्राप्त कर महालेखाकार के प्रमाणित कर भेजना होगा तथा उसकी प्रति कार्यालय के अभिलेख में रखनी होगी। नामांकन 3. में प्रत्येक को देय राशि या उसका प्रतिशत आदि भी दर्ज होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि नामांकन पर सम्बन्धित कर्मचारियों के तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर होना चाहिए तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- मासिक अंशदान की दर पूर्ण रुपयों में होनी चाहिए। 4.
- स्थानान्तरण के मामलों में प्रथम वेतन देयक में सामान्य भविष्य निधि सूची में टिप्पणी के कालम में पूर्व के आहरण अधिकारी तथा सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक के 5. स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- लेखा अधिकारी द्वारा भविष्य निधि लेखा क्रमांक के आवंटन तक जब कभी नवनियुक्त कर्मचारी से वसूली की जावे तो भविष्य निधि वसूली अनुसूची के टिप्पणी के कालम में 6. नवीन अभिदाता शब्द लिखे तथा लेखा अधिकारी से लेखा क्रमांक प्राप्त होने तक नवीन अभिदाता से वसूल की गई अंशदान की किस्तों की संख्या भी लिखी जाये।
- अभिदाताओं की पंजी अनुसूची हेतु निर्धारित प्रपत्र में बनाई जाए तथा उसमें नाम, लेखा संख्या (उपसर्गों तथा वर्णाक्षरों सहित) तथा अभिदान की दर दर्शाई जाय। समस्त 7. परिवर्तनों जैसे अभिदान की दर में स्थानान्तर, नियुक्ति, मृत्यु आदि को अंकित किया जाय।
- भविष्य निधि की अनुसूचियां प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में बनाई जाए जिसमें एक ही 8. उपसर्ग के कर्मचारियों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए। अन्य विभागों से आये कर्मचारियों से जिनकी लेखा संख्या में विभिन्न उपसर्ग है, उनके लिए अलग से अनुसूची तैयार की जावे।
- आगामी 12 से 18 माह की अवधि में अधिवार्षिकी आयु में पहुंचने वाले शासकीय सेवकों 9. की सूची प्रत्येक 01 जनवरी और 01 जुलाई को महालेखाकार/विभागाध्यक्ष (आयुक्त) कार्यालय को अनिवार्यतः भेजी जावे।

(वित्त विभाग ज्ञाप क्र. 761/1388/नि-2/चार, दिनांक 22 जून ¹⁹⁸⁸⁾

अंतिम भुगतान प्रकरण, महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जाने के पश्चात् कीई 10. आहरण स्वीकृत न किया जावे। अपरिहार्य स्थितियों में मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निर्धि नियम के नियम 32(3) (V) के अधीन महालेखाकार कार्यालय की पुर्वानुमित से ही अभिदाता को आहरण स्वीकृत किया जावे।

(वित्त विभाग क्र. 1774/2121/2000/सी/चार, दिनांक 25-8-²⁰⁰⁰⁾ सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के लिए मूल नियम का अवलोकन करें। नियम के प्रमुख बिन्दुओं का संक्षेप परिशिष्ट क्र. इक्कीस में संकलित किया गया है।

प्राचार्य की भूमिका (भविष्य निधियों के सम्बन्ध में)

- की भूमिका (भावष्य निध्य निध्य निध्य लेखा संख्या आवंटन हेतु नविनियुक्त
- कर्मचारियों को महालेखाकार द्वारा **आवंटित लेखा संख्या** सम्बन्धित की सेवा पुस्तिक है 2. कर्मचारियों का महालखाकार ध्रारा जानाच्या । जानाच्या कि यह संख्या तथा कर्मचारिय की जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह संख्या तथा कर्मचारी के भी दंज का जाना चाहिए। यह ना जा । जा । जा । नाम आदि प्रत्येक माह के कटोत्रा पत्र में तथा स्थानान्तर पर अंतिम प्रमाण-पत्र में सही लिख जा रहा है।
- प्रत्येक शासकीय सेवक से निर्धारित प्रपत्र पर नामांकन प्राप्त कर महालेखाकार के 3. प्रमाणित कर भेजना होगा तथा उसकी प्रति कार्यालय के अभिलेख में रखनी होगी। नामांकन में प्रत्येक को देय राशि या उसका प्रतिशत् आदि भी दर्ज होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि नामांकन पर सम्बन्धित कर्मचारियों के तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर होना चा_{हिए तथा} कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- मासिक अंशदान की दर पूर्ण रुपयों में होनी चाहिए। 4.
- स्थानान्तरण के मामलों में प्रथम वेतन देयक में सामान्य भविष्य निधि सूची में टिप्पणी के 5. कालम में पूर्व के आहरण अधिकारी तथा सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक के स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- लेखा अधिकारी द्वारा भविष्य निधि लेखा क्रमांक के आवंटन तक जब कभी नविन्युक्त 6. कर्मचारी से वसूली की जावे तो भविष्य निधि वसूली अनुसूची के टिप्पणी के कालम में नवीन अभिदाता शब्द लिखे तथा लेखा अधिकारी से लेखा क्रमांक प्राप्त होने तक नवीन अभिदाता से वसूल की गई अंशदान की किस्तों की संख्या भी लिखी जाये।
- अभिदाताओं की पंजी अनुसूची हेतु निर्धारित प्रपत्र में बनाई जाए तथा उसमें नाम, 7. लेखा संख्या (उपसर्गों तथा वर्णाक्षरों सहित) तथा अभिदान की दर दर्शाई जाय। समस्त परिवर्तनों जैसे अभिदान की दर में स्थानान्तर, नियुक्ति, मृत्यु आदि को अंकित किया जाय।
- भविष्य निधि की अनुसूचियां प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में बनाई जाए जिसमें एक ही 8. उपसर्ग के कर्मचारियों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए। अन्य विभागों से आये कर्मचारियों से जिनकी लेखा संख्या में विभिन्न उपसर्ग है, उनके लिए अलग से अनुसूची तैयार की जावे।
- आगामी 12 से 18 माह की अविध में अधिवार्षिकी आयु में पहुंचने वाले शासकीय सेवकों 9. की सूची प्रत्येक 01 जनवरी और 01 जुलाई को महालेखाकार/विभागाध्यक्ष (आयुक्त) कार्यालय को अनिवार्यतः भेजी जावे।

(वित्त विभाग ज्ञाप क्र. 761/1388/नि-2/चार, दिनांक 22 जून 1988)

अंतिम भुगतान प्रकरण, महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जाने के पश्चात् कोई 10. आहरण स्वीकृत न किया जावे। अपरिहार्य स्थितियों में मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 32(3) (V) के अधीन महालेखाकार कार्यालय की पुर्वानुमित से ही अभिदाता को आहरण स्वीकृत किया जावे।

(वित्त विभाग क्र. 1774/2121/2000/सी/चार, दिनांक 25-8-2000) सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के लिए मूल नियम का अवलोक्^{न करें।} नियम के प्रमुख बिन्दुओं का संक्षेप परिशिष्ट क्र. इक्कीस में संकलित किया गया है।

[शासकीय सेवकों के लिए कल्याणकारी आर्थिक-विधान]

विषय प्रवेश :

मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के समान ही शासकीय सेवकों के कल्याण के लिए, शासन द्वारा विभिन्न वित्तीय योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए गये हैं।

इन सर्वविभागीय नियमों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी एवं विवरण शासकीय कार्यालयों (एवं पुस्तक-विक्रेताओं के पास) सदैव उपलब्ध रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य (और उनके कर्मचारी गण) संदर्भ के लिए मूल नियम और उनमें समय-समय में हुए संशोधनों का अवलोकन करें।

इनमें से कुछ प्रमुख हितकारी वित्तीय नियमों की सूची एवं सामान्य विवरण निम्नानुसार है :—

- वेतन एवं वेतन निर्धारण आदि; 1.
- मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955; 2.
- मध्यप्रदेश विभागीय भविष्य निधि नियम, 1974; 3.
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक, कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना, 2003;
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि योजना, 1974; 50.
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक समूह बीमा योजना, 1985; 60.
- मध्यप्रदेश (शासकीय सेवक) यात्रा भत्ता नियम; 7.
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958;
- शासकीय सेवकों को अग्रिमों एवं ऋणों की सुविधा;
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1976;

वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के सम्बन्ध में 72

राज्य शासन के सेवकों को पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के अनुरूप 1 जनवरी 1996 से नये वेतनमान स्वीकृत किए गए हैं देखिए, (संदर्भः वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन क्र. एफ-आर/17/06/98-च-9/चार, दि. 22 मई 1998)

मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 73

समस्त शासकीय सेवकों की, जिनकी सेवा शर्तें मध्यप्रदेश शासन निर्धारित करने हेतु सक्षम है, को सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करना अनिवार्य है। ठेके पर अथवा पुनर्नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

राज्य शासन चाहे तो आदेश द्वारा किसी वर्ग विशेष के शासकीय सेवकों को इस नियम से छूट प्रदान कर सकता है (नियम 3, 4 एवं 5)।

उपरोक्त दोनों वित्तीय योजनाओं के स्थान पर अब मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना, 2003 लागू की गई है। अतएव यहां इन दोनों नियमों के केवल नामों का उल्लेख किया है।

प्रपत्र

नामांकन	के	अभाव	में	मृत	शासकीय	सेवक	के	परिवार	का	विवरण

(i)	मृत शासकीय सेवक का न	प्राप्त में भूत शासकाय सवक के परिवार क	ा विवरण
(ii)	मृत्यु का दिनांक	, 14.114,	
(iii)	पदस्थापना (कार्यालय का	गम)	
	वार के सदस्य का पूरा नाम एवं पता	मृत शासकीय सेवक के संबंध	सदस्य की आयु
गवाहा दिनांक	के नाम	पदनाम	गवाहों के हस्ताक्षर
ादनाक स्थान			
7411		कार्या	लिय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
		ों के नाम नियम 31(1) (बी) में उल्लेखित क्रम	
_		ों के नामों का उल्लेख करते समय मृत शासकीय	कर्मचारी द्वारा कार्यालय को दिए
गए परि	वार का विवरण भी ध्यान में	रखा जावे।	
(02)		अवशेष रकमों का भुगतान	
है, में व	अवशेष बेलेंस निम्न प्रतिबंध	हां कर्मचारी सेवानिषृत्त हो गए हैं, त्यागपत्र दे दिय के अधीन दिए जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए	गए हैं:-
	आधार पर बिना	ांस की कुल राशि रुपये 2500 से कम है वहां अ विस्तृत खोजबीन महालेखाकार द्वारा भुगतान पर्च	र्गे जारी की जा सकेगी।
	अभिदाता द्वारा र	ोंस की कुल राशि रुपये 2500 से अधिक है, वि पथ पत्र प्रस्तुत करने पर महालेखाकार द्वारा भुग	तान किया जा सकेगा।
समायोा	(2) सेवारत प्रशासकी जित की जा सकेंगी, बशर्ते 1	य कर्मचारियों के मामले में रुपए 5000 तक गुमश् के यह रकमें चालू वित्तीय वर्ष से 3 वर्ष पूर्व की	गुदा रकमें शपथ पत्र के आधार पर हों।
	शषध पत्र प्रस्तुत करने	की विधि-	
	(अ) सेवानिवृत्त कर्मच	रियों के मामले में सीधे महालेखाकार को।	
	(ब) सेवारत कर्मचारि शपथ पत्र में दी	ों के मामले में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से म गयी जानकारी की पुष्टि कर महालेखाकार कार्या	तय को भेजेगा।
		[वित्त विभाग क्र. 9/2/87/	नि-1 चार, दिनांक 20-1-1989)
		शपथ पत्र का प्रारूप	
	मैं श्री/कुमारी/श्रीमती		આર્
	पत्र/प	त्री/पत्नी श्री त पद तथा विभाग का नाम)	भूतपूर
शपथप	 र्वक निम्नलिखित कथन करत	ग/करती हूँ ∶−	

कायां व्या पावार हा विषा महा विषालय मरूप्त निता विलासपुर (ह)।) किरीय वर्ष 2016-10 से 2020-21 gpf Advance, Part final लेने वाले अस्प किर्यारियों की

वर्ष . अस्ति र	ज्ञीबारी का नाम पद	बिल न दिनोंक स्ट <u>26</u> 23616	रा चि	TempAd/ Partfind
२०१६-१७ () डाल्राजेया	चतुर्वेनी सरा	26 23616	90000	PF. Tem. Adv
श्रिमी जे रह	न पेंकरा —»-	27	90000	Temp Adva
3 m 27 3		23.6.16	28000	Temp Adı
अने रून द	हे निराला यहा	93.616	90000	Temp Ad.
कि के अग			(000000)	SPF Part Final Temp Adva
२०१७ – २०१८७ इा-राजेश-	बर्वेटी संग प	7. 29	90000	Temp Adva
२०१८ २०११ 🗇 डा॰ राजेश		T. 39		Temp Adva
(8) में रून के	निराला सला प्र		90000	Temp Adr
०११-२०२० 🖲 प्रो जे रस	र्षेकरा सलाव	9.5.19	90000	Temp Ad
२०२०-२०२। (० जो जो २०२ (४-१-२।) स्ट	न पेंकरा स्वाधा यु:अपरोत	<u>57</u> 4-1-21	50000	अनुराट अनुदानग र ि

्रान्ताः प्रमान्तायः । हिन्दाालायः शासकीय प्रदाहेश्य महाविद्यालयः मस्तूरी, जिला-वितासपुर (छ.ग.)



Government Pataleshwar College Masturi District- Bilaspur (C.G) -495551

Dress Allowance

		Dres	s Allowand		2020-21
Years	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
Allowance	Nil	7974.00	9980.00	20000.00	Covid-19

Govt. Pataleslawar College Masturi Distr-Bilaspur (C.C.)



Government Pataleshwar College Masturi District- Bilaspur (C.G) -495551 Medical reimbursement

Years	Name	Date	Bill No.	Allowance
2016-17	N.K. Relwani	17-01-17	79	233867.00
78700077	Dr. D.R. Sahu	16.03.17	96	86202.00
2017.10	Dr. D.R. Sahu	24.07.17	30 -	47440.00
2017-18	Shri Sunil Kumar Yadav	24.07.17	31	142643.00
2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil
2019-20	Nil	Nil	Nil	Nil
	Smt. Pratibha Parihar	20.10.20	38	309524.00
0000 01	Shri Dilip Shukla	11.01.21	58	164567.00
2020-21	Smt. Sukanya Shrivas	23.03.21	98	131647.00
	Dr.D.R. Sahu	24.02.21	80	123804.00

Principal Goyt, Pataleshwar College Masturi शासकीय पातालक्ष्यर महावद्यालय मस्त्रिणिका Bilaspurge (छ.ग.)

BHIG/173	∕स्था. / 2016 —	लय मस्तूरी जिला – बिलासपुर (छ मस्तूरी, दिनांक २.८८)
		. **
	// आदेश	11.
	श्री/श्रीमती/कृत र्थुन	oru, श्रीकात, प्रम् परियास
दिनाक 27-18	-18 # 25-6-19	दिनांक <u>भार्य ल तक</u> (दोनों दिन
सांमेलित कर)	180 दिनों का अ जिंत अव	भार्य ति अवकाश/लयुक्त अवकाश
(चिकि सा प्रमाण ध	त्र के आधार पर) स्वीकृत किया जाता	हैं। उक्त अवकाश के साथ को
छुट्टी जोडने की	अनुमति प्रदान की जाती हैं।	•
		श्रीमती / कुछ रंदु १५ त्या १५ नाता
की पदस्थापना उस	के पूर्व पद पर की जाती है।	3 9
162	अवकाश में उन्हें अवकाश वे	तन तथा भत्ते उसी प्रकार देव होगा जो उन्हे
अवकाश पर नहीं र	नाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।	44 6171 311 37E
250 3 mm41	अपरोक्त अवकाश का उपय १,ग्रेंबास, उन्हा, परिक्र प्राजित	ोग करने के पश्चात् श्री / श्रीमती/ अवकाश/चिकित्सा अवकाश / खाते में
दिनो द	ठा अवकाश शेष रहेगा।	Deale
		DOINTOAL
	## T	शासकीय Pप्रसिद्धितस्य महत्त्वस्थानय स्थारी प्राप्ति जिल्ला स्थानम् (स्थिति)
प्. क्रमांक / 174	स्या. / 2016	मस्तूरी, दिनांक 🗷 6
प्रतिलिपि : —		
া ঐ পাঁ	ति/कु अवन्य भीवास	
5 11-01-110	राशिकाय प्रतिलिंग्नर महाविद्यान्य स्ट	क। सूचनाथ। भी जिला बिलासफर को उस्तान
3. M/ 新和	मारह है भारत है मार	की सेवा पुस्तिका में नस्ती हेत।
	2)6	•
	01	XCele
		प्राचार्य ३ १-6-17
		शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय भारत्री जिला- बिलासपुर (७.ग.)

प्राचार्य,

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय

मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग.

विषय:- पितृत्व अवकाश प्रदाय करने बाबत्।

महोदय,

विषयांन्तर्गत निवेदन है कि मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। अतः शिशुं की उचित देखमाल के लिए मुझे दिनांक 16.10.2019 से दिनांक 30.10.2019 तक कुल 15 दिवस की पितृत्व अवकाश प्रदान करने का महति कृपा करें।

धन्यवाद।

दिनांक 15,10,2019

स्थान :- मस्तूरी ।

संलग्न :-

1. पुत्री की जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

m mlh. 19

30 G.O.19

भवदीय सुनील कुमार यादव प्रयोगशाला तकनीशियन शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला–बिलासपुर छ.ग.

1	कार्यालय प्रमुख या अन्य प्रमाणीकरण कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	पदांत का दिनांक	पदांत का कारण (जैसे पदोन्नति स्थानांतरण या अपदस्थ होना)	कार्यालय प्रमुख या अन्य प्रमाणीकरण कर्ता अधिकारी के हस्ताकर	तिया हुआ अवकाश प्रकार एवं अवधि	कार्यालय प्रमुख या अन्य प्रमाणी करण करा अधिकारी के हस्ताक्षर	कर्मधारी को दिया गया दण्ड या पुरस्कार अथवा प्रशंसापत्र आदि का विवरण
y d	Signature and designation of the Head	Date of termination of appointment	Reason of termination (such as	Signature of the head of the Officer or other Attesting Officer	Leave taken nature and duration	Signature of Head of the Office or other Attesting Officer	Reference to recorded punishment or censure or reward of praise of the office
18	attestation of columns (1-8)			12	13	14	15
13	The second secon	10	11		NAME OF TAXABLE PARTY.	3 3	1000
		2 A 3 2	b d25	and and a	PRI ovt. Pata sturi Dis	NCIPAL leshwar CoHeg tt. Bilaspur (C	G.)
		3747	भी खाने हैं	2 +71(07) [Azu] G	Na.	PRINCI	n

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिल

東. 425 / Tell. / 2017

मस्तूरी दिनांक : 30.11.2017

आदेश

गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के यू.जी.सी-मानव संसाधन विकास केन्द्र में दिनांक 01.12.2017 से दिनांक 22.12.2017 को वनस्पतिशास्त्र विषय पर आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यकम में सम्मिलित होने हेतु श्री नवीनकुमार रेलवानी सहा. प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र को दिनांक 30.11.2017 को अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जाता है।

प्राचार्य क्ष प्राचाय क्षी दुर्ह्ण । शास. पातालेश्वर महावि. मस्तूरी **्र**-जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि,

मस्तूरी दिनांक : 30.11.2017

- पृ. क._{(1,2,6,7}स्था./2017 ा. संचालक, पुनश्चर्या पाठ्यकम, यू.जी.सी-मानव संसाधन विकास केन्द्र, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2. डॉ. एस. के. शाही, पाठ्यकम समन्वयक, यू.जी.सी-मानव संसाधन विकास केन्द्र, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संबंधित सहायक प्राध्यापक को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

शास. पातालेश्वर महावि. मस्तूरी व-जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

ई मेल - govtcollegemastura

मस्तूरी,दिनांक .2

あ./137/刊./2018

भुवन सिंह राज विभागाध्यक्ष प्राणीशास्त्र विभाग शासकीय पातालेखर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग.

(3)

विषय :-संदंर्भ :- रिफ्रेशर कोर्स हेतु कार्यमुक्त करने बाबत्। ... दिनांक 02.07.2018। आपका पत्र क्रमांक

उपर्युक्त विषयांन्तर्गत लेख है कि श्री मुवन सिंह राज, सहायक प्राच्यापक, प्राणीशास्त्र को पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले रिफ्रेशर कोर्स (लाइफ सांईस) हेतु दिनांक 03.07.2018 से 23.07.2018 तक उक्त कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी PRसाधार्मAL शास्तुरीसं प्रस्ति।लेखालय महाद्वीमा जिल्ला-प्रकलासपुरिकान मस्तूरी,दिनांक 2474/8

पुक्र./१३८/स्था./2018 पं. रिवशंकर विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :-

0/2

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी प्राचार्य शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय नमस्त्री , जिला-बिलासपुर छ ग

लासपुर (छ

नों दिन

भवकाश

. को

R



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

ई मेल - govtcollegemasturi@gmail.com

東./277/स्था./2019

मस्तूरी,दिनांक 30 3 19

ाति .

निदेशक, मानव संसाधन विकास केन्द्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

विषय:- रिफ्रेशर कोर्स हेतु कार्यमुक्त करने बाबत्।

----000----

उपर्युक्त विषयांन्तर्गत लेख है कि श्रीमती कांति अंचल , सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान को पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले Refresher Course – Changing in Political and Socio Economic in India हेतु दिनांक 03.09.2019 से 17.09.2019 तक उक्त कार्य हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी ृत्ताःश्राचार्यः AL सासुनीय सातालेश्वरः महाविद्यालय श्रीपुड्युरीः, प्रजला-बिस्तारीपुर्र छ तेः

मस्तूरी,दिनांक 🞖 🗘 🦻 🕽 १

श्रीमती कांति अंचल , सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शा.पा.महा.मस्तूरी को पालनार्थ।

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी PRINGPPAL सुमुक्तीम् अपूज्यतेष्ठरात्म्य अपुमुक्तीम् अपूज्यतेष्ठरात्म्य अपुमुक्तीमें अधितास्विकारम् र छन्।



Government Pataleshwar College Masturi District- Bilaspur (C.G) -495551

CASE STUDY

Professor J. S. Paikara

The senior professor of the college, Professor J.S. Paikra was working as Assistant Professor, Department of Geography in the college since 25.9.2004. His untimely demise was on 4.1.2021. Even after the circumstances were unfavorable during the COVID-19 period, the college administration not only paid all their financial claims and entitlements on time, rathermade continuous efforts in the compassionate appointment of his eldest son, Shri Vinod Paikra in the post of Assistant Grade-3 in the Higher Education Department. As a result of which Shri Vinod Paikra was appointed on 7.7.2021. The details of payment of all the financial claims and entitlements made by the college administration to Professor J.S. Paikra are as follows:

S.	Particular	Amount	Date
No. 1.	Payment of Exgrazia	50,000.00	05.01.2021
2.	Group Insurance Claim	3,60,000.00	31.03.2021
3.	Payment of Group Insurance (Contribution including interest)	1,33,348.00	13.04.2021
4.	Encashment of Earn Leave	46,125.00	24.07.2021
5.	Final Payment of GPF	17,79,535.00	13.10.2021
6.	Payment of Gratuity	20,00,000.00	28.08.2021
7.	Pension per Month	88,250.00	From 05.01.2021
8.	Recommendation Letter for Compassionate appointment of Mr. Vinod Paikra S/O Mr. J. S. Paikra	Letter forwarded to Department of Higher Education (C. G.)	04.03.2021
9.	Appointment order of Mr. Vinod Paikra S/O Mr. J. S. Paikra	Assistant Grade III	07.07.2021

Governme R. P. N. C. R. L. College Governme R. P. N. C. College Masturi, Distt. - Bilaspur (C.G.)

de

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) (फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

/आर-161/आउशि/अराज.स्था/2021 अटल नगर,दिनांक /08/ 2021

प्राचार्य. शासकीय महाविद्यालय पामगढ जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

अनुकंपा नियुक्ति बाबत् – श्री विनोद कुमार पैकरा, पिता स्व. श्री जोहन सिंह पैकरा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उपरोक्त विषयान्तर्गत, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र कमांक-एफ-7-1/2 012/1-3 दिनांक 14.06.2013 के तहत श्री विनोद कुमार पैकरा, पिता स्व. श्री जोहन सिंह पैकरा, सहायक प्राध्यापक मूगोल, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का आवेदन पत्र आपके महाविद्यालय में रिक्त तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के पद पर वेतन वैंड रू 5200-20000 एवं ग्रंड वेतन रू. 1900 / - (लेवल मेट्रिक्स-4) में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु समस्त अभिलेखों सहित मूलतः आपकी ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व निम्न निर्देशों का परीक्षण अनिवार्यतः कर

आदेश जारी किये जावे। उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेगी :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी परिपत्र क्मांक-एफ-7-1/2012/1-3 दिनांक 14.06.2013, 31.12.2013, 13.10.2015, 22.03.2016, 30.04.2016, 07.06.2016, 29.08. 2016, 30.08.2016, 13.10.2017, 23.02.2019 एवं 08.08.2019।

2. उच्च शिक्षा विभाग के छ.ग. अराजपत्रित महाविद्यालयीन सेवा भर्ती नियम।

3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का निर्देश (वित्त निर्देश 21/2020) कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 के अनुसार परिवीक्षा अविध 03

के होगी इस अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत। हितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत। तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह मे।

नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी कर 03 दिवस के भीतर आवेदक को एवं इस लिय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

हानः उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती शारदा वर्मा) आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.कमांक 13 दि/आर-161/आउशि/अराज.स्था/2021 अटल नगर, दिनांक % 6/08/2021 प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, , शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र कमांक. 109/स्था/2021 दिनांक 07.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ। 2. श्री विनोद कुमार पैकरा, पिता स्व. श्री जोहन सिंह पैकरा,ग्रा.पो.मितूनवागाँव व्हाया sted क्या बेलगहीना तहसील-करगीरोड जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

उच्च शिक्षा संचालनालय क्तवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

प्राधिकार पत्र क्रमांक 202102195(E)

जी.पी.एफ.11(रूपांतरित)

कार्यालय,महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

() यह प्राधिकार पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए प्रभावशील है. 更. / 同屆 / 03/09/202111102078

विनांक 30-09-2021

प्रति .

प्राचार्य , शा महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर छ.ग. 0738028

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक Q दिनांक 29/07/2021 | महोदय .

आपके उपरिसंदर्भित पत्र के अनुसरण में नीचे दिए गये विवरणानुसार राशि आहरित एवं संवितरित करने हेतु यह प्राधिकार पत्र जारी

संबंधित को यह सूचित कर दिया जाये कि उसे दी गई राशि स्वीकार करनी होगी एवं उस राशि पर आगे ब्याज देव नहीं होगा. राशि की अदायगी करते ही इस राशि के संवितरण का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को तुरंत प्रस्तुत करें ।

कोषालय अधिकारी District Treasury, Bilaspur को तदनुसार सूचित कर दिया गया है. कृपया पावती भेंजे तथा अवशिष्ट राशि को शीघ प्राधिकृत करने हेतु नीचे मद क्र. 10 के समक्ष दर्शाये गए गुमशुदा कटौत्रों / संभावित गुमशुदा नामों का विवरण प्रस्तुत करें ।

- 1. अमिदाता का नाम
- 2. सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक
- 3. सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / पदच्युति / मृत्यु का दिनांक
- 4. दिनांक जब तक ब्याज दिया गया
- 5. एतद द्वारा आहरण करने हेतु प्राधिकृत राशि(शब्दों तथा अंको में)
- क्या प्राधिकृत राशि सम्पूर्ण / उपलब्ध / अवशिष्ट राशि है
- 7. (")राशि किसको वितरित कि जानी है
- 8. लेखा शीर्ष
- 9. दिनांक
- 10. (क) गुमशुदा कटोत्रे
- (ख) संमादित गुमशुदा नामे
- 11. विशेष निर्देश यदि कोई हो,

स्व. श्री जोहन सिंह पैकरा CED/374955

04/01/2021

06/2021

र सत्रह लाख उनयासी हजार पांच सौ तैतीस मात्र (₹1779533.00)

संपूर्ण

1.श्रीमती सुखमती पैंकरा (100)

(आई) अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि

(बी)मविष्य निवियां, 8009 राज्य भविष्य निवि-01 सिविल,

को या उसके पश्चात् देय

30/09/2021

निरंक

र सत्रह लाख उनयासी हजार पांच सौ चौतीस (₹1779534.00)(रुपयों के अंदर)

MAHENDRA

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR RAMTEKE KUMAR RAMTEKE Date: 2021.09.30 17:00:36 +05'30'

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार

Govt. Pataleshwar College

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

नॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) (फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

/आर-161/आउशि/अराज.स्था/2021 अटल नगर,दिनांक /08/2021

प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पामगढ़ जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

अनुकंपा नियुक्ति बाबत् – श्री विनोद कुमार पैकरा, पिता स्व. श्री जोहन सिंह पैकरा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.)

उपरोक्त विषयान्तर्गत, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र कमांक-एफ-7-1/2 012/1-3 दिनांक 14.06.2013 के तहत श्री विनोद कुमार पैकरा, पिता स्व. श्री जोहन सिंह पैकरा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का आवेदन पत्र आपके महाविद्यालय में रिक्त तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड-3 के पद पर वेतन बैंड रू 5200-20000 एवं ग्रेड वेतन रू. 1900/- (लेवल मेट्रिक्स-4) में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु समस्त अभिलेखों सहित मूलतः आपकी ओर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व निम्न निर्देशों का परीक्षण अनिवार्यतः कर आदेश जारी किये जावे। उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी:-

- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी परिपत्र कमांक-एफ-7-1/2012/1-3 दिनांक 14.06.2013, 31.12.2013, 13.10.2015, 22.03.2016, 30.04.2016, 07.06.2016, 29.08. 2016, 30.08.2016, 13.10.2017, 23.02.2019 एवं 08.08.2019 ।
- 2. उच्च शिक्षा विभाग के छ.ग. अराजपत्रित महाविद्यालयीन सेवा भर्ती नियम।
- 3. छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय का निर्देश (वित्त निर्देश 21/2020) कमांक अप 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 के अनुसार परिवीक्षा अविध 03

पर्व होगी इस अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

कमश...

PREMITE AL COLOGO
Seet Prester Blues out (C.S.

य :-







कार्यालय प्राचार्य, क./32.6/स्था./2019 महाविद्यालय मस्तूरी जिला – बिलासपुर (छ.ग.) प्रति,

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लांक सी– 30 द्वितीय एवं तृतीय गंजिल इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ.ग.

गरा – प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला– बिलासपुर छ.ग.
 वेषय – संतान पालन अवकाश बाबत।

ाहोदय,

--00--

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं डॉ. श्रीमती किरण ठाकुर शासकीय ।तालेश्वर महाविद्यालय मरतूरी में रसायनशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर दस्थ हूं। मेरे पुत्र के दोनो पैर की Bone density कम होने के कारण उसका इलाज नंदनर चल रहा है अतः मेरे पुत्र की देखरेख के लिए दिनांक 30.10.2019 से 14.12.2019 क मुझे अवकाश की आवश्यकता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त अवधि हेतु संतान पालन अवकाश ग्रीकृत करने का कृपा करें ।

धन्यवाद

ांक 03·16·2019

ग्न:- 1. फार्म - 01

- 2. जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 3. नाम परिवर्तन का शपथ पत्र
- 4. संतान पालन हेतु आदेश की छायाप्र

प्रार्थी

डॉ. श्रीमती किस्ण ठांकुर सहा.प्राध्यापक रसायनशास्त्र शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग.

BEINGER ...

Gord, College Meatur Colsti Bilaspur (C.G.)

क्रान म - 07752-273135 # 1632 Rell. / 2020 प्रति .

कार्यालय प्राचार्य. शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

र्व भेत - govtcollegemasturi@gmail.com

विषय:-

संदर्भ :-

मल्त्री,दिनांक 20 2 202

डॉ. (श्रीमती) सुजाता सेमुअल सहायक प्राच्यापक राजनीति शास्त्र शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग. संतान पालन अवकाश बाबत्।

- कार्यालय आयुक्त का पत्र क्रमांक 504/214/968/आउशि/अराज./स्था.2019
- 3. आपका पत्र क्रमांक /288 (B)/ दिनांक 15.01.2020 I

जपर्युक्त संदर्भित पत्र के विषयांन्तर्गत लेख है कि आपने दिनांक 15.01.2020 द्वारा संतान अवकाश हेतु आवेदन किया है। अतः कार्यालय आयुक्त के पत्र 504/214/968/आउशि/अराज./स्था. 2019 नवा संयपुर दिनांक 17.10.2019 के अनुसार आपको दिनांक 01 मार्च 2020 से 14 मई 2020 तक संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है

डॉ. (श्रीमती) मंजू त्रिपाठी

PRINCIPAL Gलास्कृतसाम्ब्रह्मार्थक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष Mastisk Dहिला डीलिडाइडान्ट.G.)

पु.क. /638/स्था. / 2020

मस्त्री,दिनांक

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, शासकीय ई.राघवेन्द्र राव स्नातकीत्तर महाविद्यालय सीपत बिलासपुर को स्चनार्थ।

डॉ. (श्रीमती) मंजु त्रिपाठी

शासकीय पातालेखर महाविधालय मस्तुत्र । अद्भारतिकामपुर छ.ग Govt. Pataleshwar College Masturi, Disit. Bilaspur (C.G.)

914 Jan D 22 102 20 20

अगम्मन

उच्च किश रंचलनालय री॰-3 द्वितीय रुवं तृतीय तक बन्द्रावती अवन, अरल नगर जिला रामपुर (७.ग)

विषय: - स्तान पालन अवकाषा प्रदान करने लाजान

(1) में उा॰ (श्रीमती) सुजाता सेमुअल शासकीय महाविधालय मस्त्री में राजनीतिशास विभाग में सहायन प्राप्तापन पद पर परस्था हूं।

(2) मेरा पुत्र Pathological Myopia with Astigmatism से पीडित हैं, तथा उसकी ऑक का इनाज निर्देश -चल रहा है।

(3) मेरा पुत्र अख्वीं कहा में आध्यमनरत हैं तथा जिसकी बीर्ड परीक्षा मार्च के खीर्तम सप्ताह से प्रारंभ हो रते हैं। उसकी बीर्ड परीक्षा की तथारी करवाने इन्दें परीक्षा के समय स्वास्थात समस्याओं की देखरेख के किए मुक्ते दिनांक 24.62.2020 र्च दिनींक 14.5.2020 तक खावना वा की आवश्यकता हैं।

अतः आपर्य निवेदन हैं हि उत्त अविदा हेतु स्तिन पालन अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

-c4-21914

दिनाँड -

र्शत्यन - () फार्म-01

(2) जन्म प्रमणफा की द्वामाप्रति

(3) स्तान पालन हेत् आदेश की

निहारि हिल्ला समुक्ता स्ट्रास्ट्रिकार प्राप्तिकार प्राप्तिकार स्ट्रास्ट्रिकार स्ट्रास्ट्र स्ट्रिकार स्ट्रास्ट्र स्ट्रास्ट्र स्ट्रास्ट्र स्ट्रास्ट्र स्ट्रास्ट

आमुक, उच्च बिक्सा संचात्मनात्म सीव - 3 डिनीम एवं तृतीम तल इन्द्रावती अवन अवन गाए जिला-रामपुट (६) जा) द्वारा- प्राच्यार्थ, ब्राासकीम पातस्त्रेकार महाविधालना महूरी विषय: - स्तान पालन अवडाका प्रदान करने जानन विसमान्त्राति लेख है कि (1) में डा॰ (भीमती) सुजाता सेमुझल ज्ञामकीन म्याविभाजान मलूरी में राजनीति छा छ विभाग में स्तरायक प्राच्याप ह पद पर पदस्य हूं।
(2) मेरा पुत्र Pathological Myopia with Astigmatism से पीड़ित हैं तथा इसनी ऑस का उलाज निर्देगर्-पत स (3) मेरा पुत्र नक्सी कला ने अध्यमनरत हैं तना जिसली का बिह परीक्षा मान्य के अधिम सप्ताह में आरंभ हो रही हैं। उसकी परीक्षा भी तमारी कर्वामें इस परीक्षा के समय स्नास्थात समस्याओं भी देखरेख के लिए मुक्त -दिनील 08-3-2021 से 31-05-2021 तक अववाका वी अविक्रमक्रा है। अतः आपसे निवेद है कि उस अविध हेतु र्मराम पावन अवडावा स्वीवृत करने भी क्रुण कर। - W-24916 संकान ना फार्म -01 "अ भीमती खुनाता सेन्न (2) अन्म प्रमाण पत्र भी दामा प्री CIPAL College (3) स्तिम प्रस्त हेट अदिश सहामन प्राच्याप ह याजनीति शास्त्र वि ज्ञासकीय पालकिया त्रिज्यसपार किं)



कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

ई गेल -govtcollegemasturi@gmail.com

मस्त्री दिनांक- 13 03 2021

आदेश

डॉ. श्रीमती सुजाता सेमुअल, सहायक प्राच्यापक राजनीतिशास्त्र के आवेदन दिनां क 04 03 2021 के द्वारा संतान पालन अवकाश दिनांक 08.03.2021 से 06.05.2021 तक चाही गई है।

अतः संचालनालय के पत्र क्रमांक 504/214/968/आउशि/ का राजस्था/2019 नया रायपुर दिनांक 17.10.2019 के अधिकारों का प्रयोग लाते हुए दिनांक 08.03.2021 से 06.05.2021 तक कुल 60 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

PRINCIPAL शासकीक धाचा लेखक अहस्री खुक्तय न्तर्दरी जिला-विलासपुर अज्ञा

4.雨./ /स्था./2021

मस्त्री दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय शासकीय ई. राघवेन्द्र राव रनातकोत्तर महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3. डॉ. श्रीमती सुजाता सेमुएल सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र को सूचनार्थ।

4. स्थापना/लेखापाल को सूचनार्थ।

स्विभर विभागविष्ठातिय देवान्त्र गस्तुश्रीतिहासी स्त्रीतिहास प्राप्त कार्य

उन्म किला संन्यानसम 3-5-2110-11-8-21 कलाह - 3 हिनीय एवं मृतीय मैं जिल -35 हेन्द्रावर्त नेवन , डाहल नगर. वारा - प्राचार्य कालकीम पातालेक्य महानियालय मसूरी नवा यात्रापुर (६.५) निवधः - संग्राम पालम अवस्था प्रदान करने अलग विष्यान्यात लेख है कि -में डा॰ (भीमती) खुलाता खेमुझल आसकीय महाविधालय मह्तूरी का विभाग में सहमा आप्पापक पद पर पदस्य हूं। में प्रम निवल राज सेमुझल किनांक 03-05-2021 को जीना में कोरोना चॉजिटिव पाशा गणा था। स्वास्य कावा स्वराव होने पर उसे दिनांक 03-05-2021 ङास्पताल में अभी करामा गामा भा। दिनांक 12-05-2021 कसे अस्पताल से डिस्याण TOSAII STATE OUT ! वनमान में निकित्सकी ने निकित्सकीय निरीक्षण मे रखने भी अनुश्रांसा भी है। उसके निष्यकी होने के काला मेरे द्वारा भी कोविड प्रोटीकाल का पालन किया जाना अमिश्रमणं न उस काएग महोदम से अनुरोध है कि मुक्ते दिनांक 05-07. 2021 से 31.08. 2021 तक संतान पालन अववादा स्बीकृत कर्ने की कुण कर्। इस हेतु में आतारी रहंगी। र्से मार्न अस्ति ह्या 6.7.21 2 116.21 2 2174914 -Parias संकाम () फार्म -01 पा की हिल्लामा से मुक्त (२) जन्म प्रमाण प्रार्थी हागापूरि ि अंतान पालन होन आदेवा की हांगी पति सहामकु आध्यापक (4) न्यिक्टिसकी प्रमाण्या) गणनीति विद्वाम विभाग कासकी पातालेक्या महा०-



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

ई मेल -govtcollegemasturi@gmail.com गरत्री दिनांक- 8.07.2021

आदेश

डॉ. श्रीमती सुजाता सेमुअल, सहायक प्राच्यापक राजनीतिशास्त्र के आवेदन दिनाक 15.06.2021 के द्वारा संतान पालन अवकाश दिनांक 05.07.2021 से 11.08.2021 तक चाही गई है।

अतः संचालनालय के पत्र क्रमांक 504/214/968/आउशि/ का राज.स्था./2019 नया रायपुर दिनांक 17.10.2019 के अधिकारों का प्रयोग लाते हुए दिनांक 06.07.2021 से 14.08.2021 तक मूल

37 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

शासकीय पार्टीशिप्रदेशियविद्यालय

मस्त्री दिनांक

以那./ /स्था./2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

- 2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय शासकीय ई. राधवेन्द्र राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय को सूचनार्थ
- 3. डॉ. श्रीमती सुजाता सेमुएल सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र को सूचनार्थ।
- 4. स्थापना / लेखापाल को सूचनार्थ।

प्राचार्य

शासकीय प्राप्तिष्टाम्भीहाविद्यालय मिरत्विकरिगवाक्षंत्रिसम्मित्विष्ठिशा Masturi Distt. Bilaspur (C.G.)